वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 07 अप्रैल–मई 2014

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 02
विदेशी निधिदान और भारतीय स्वैच्छिक विकास संगठन

पृष्ठ 06
अनूठे कौशलों और नवाचारपूर्ण कार्यविधियों का विकास

पृष्ठ 08
बंगलादेश की गैर–सरकारी संस्थाएं

पृष्ठ 13
आंध्र प्रदेश की आवाज

संपादकीय

स्वैच्छिक संस्थाओं को ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत अपने वाजिब स्थान की मांग करनी चाहिए

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यों और वाणी के मित्रो

वाणी की ओर से शुभकामनाएं!

लगभग एक दशक से ब्रिक्स देश अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग कर भूमंडलीय वित्तीय संस्थाओं में अपने वाजिब स्थान की मांग कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे देशों को – जो विश्व की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं – इन संस्थाओं में स्थान देने से मना करने का अपना इतिहास रहा है, और ब्रिक्स एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो यह स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कई ऐसे देश जो या तो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं हैं या फिर विश्व मंच पर अपनी बात कहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं – ब्रिक्स की ओर आशा की नजर में देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स देशों में अधिसंख्यक निर्धन और सीमांतीकृत लोग रहते हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस नये भूमंडलीय सहमेल से आशा जुटाये हुए हैं। पर अभी तक कोई विशेष परिणाम हासिल नहीं किया गया है। ब्रिक्स बैंक बनाने की बात चली है जिसके अधिक व्यापक परामर्श करके स्थापित किये जाने के प्रयास चल रहे हैं।

पर इस समूचे प्रकरण का एक उज्ज्वल पक्ष यह है कि ब्रिक्स विभिन्न देशों के नागरिक समाज को आपसी संवाद करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूर–दूर स्थित महाद्वीपों में फैला ब्रिक्स मिलजुल कर बैठने और विचार–विमर्श करने का एक कारण प्रस्तुत करता है। पर अब समय आ गया है कि ब्रिक्स के भीतर नागरिक समाज के लिए स्थायी ढांचे और स्थान की मांग की जाये जैसे कि जी–20 ने सी–20 की शुरूआत की है। हमें भी सी–ब्रिक्स की मांग करनी चाहिए। स्थायी ढांचे और जवाबदेही के अभाव में यह संभावना है कि ब्रिक्स वृहद–आर्थिक सिद्धांतों पर चर्चा का एक मंच बन कर रह जायेगा जिससे केवल निजी क्षेत्र को ही लाभ प्राप्त हो सकता है। पहले से ही इन देशों के आरोप हैं कि निम्नतम विकसित देशों से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए उत्पाद संघ या काटेल गठित किये जा रहे हैं। ब्रिक्स के इन देशों ने नये सहायता ढांचे को – जो कि समुदायों की भागीदारी के बिना एक देश से दूसरे देश के बीच सहायता है – परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। इन देशों के नागरिक समाजों का दायित्व है कि वे अधिक सक्रिय हों और अपनी–अपनी सरकारों को प्रभावित करने हेतु अभियान चलायें। भारत में हाल ही में हमने यह देखा कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विकास साझेदारी प्रशासन विभाग स्थापित किया गया है। हमारा मानना है कि यह भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सहयोग और कार्य करने का एक स्वर्णिम अवसर है।

शेष पृष्ठ 5 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

विदेशी निधिदान और भारतीय स्वैच्छिक विकास संगठन

पिछले सप्ताह से सभी अखबार और टीवी चैनल विदेशी भारतीय गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका और भारत के विकास अर्थशास्त्र को लेकर तथाकथित "गुप्त रिपोर्ट" को लेकर बहस कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट पहली बार सामने नहीं आई जो एक ओर तो "गोपनीय" हो और दूसरी ओर उसे संचार माध्यमों को लीक कर दिया गया हो। दुर्भाग्य से क्योंकि संचार माध्यम मुद्दों को तेजी से प्रकाशित और प्रसारित करते हैं, इसलिए इन समाचारों को मुख्य बिंदुओं को लेकर कुछ नहीं किया जाता। इस संदेश के माध्यम से हम संचार माध्यमों और साथ ही सरकार का ध्यान इस मुद्दों को समग्र रूप से समझने और ऐसी रिपोर्ट से सच्ची संस्थाओं के असाधारण कार्य को होने वाले नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

1. एक जनतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत का ऐसा इतिहास रहा है कि कई मौकों पर राज्य तंत्र ने मनमाने तरीके से अपनी मशीनरी का उपयोग किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने के लिए किया है और विशेषकर ऐसे विभागों के माध्यम से ऐसा किया गया जिन विभागों के इस कला में महारत हासिल हो रखी है जैसे कि आयकर विभाग, सीबीआई, आईबी और एफसीआरए से संबंधित विभाग। दुर्भाग्य से सबसे कमजोर विरोधी होने की वजह से एनजीओ एक आसान निशाना बन जाते हैं। इन संस्थाओं के कष्ट इस तथ्य से और बढ़ जाते हैं कि विदेशी अनुदान संबंधी कानून का प्रबंधन एफसीआरए विभाग और आईबी करते हैं। एनजीओज का कहना है कि इन दोनों की विभागों तक आम नागरिकों की पहुंच नहीं है। ये रिपोर्टें मीडिया को तो दे दी गई पर सार्वजनिक क्षेत्र में या कहिये कि वाणी जैसी शीर्ष संस्थाओं के सामने इन्हें कभी लाया नहीं गया। इस तरह अधिकतर समय हमें न केवल बिना किसी ठोस आरोप के अपना बचाव करना पड़ता है, बल्कि हमें बिना सुनवाई के दोषी करार दिया जाता है।

2. अब, अगर कोई ऐसी रिपोर्टों या कार्रवाइयों का, समाज की सामान्य स्थिति के साथ इन्हें जोड़कर विश्लेषण करें तो कोई भी इनके पीछे निहित "तर्क" को समझ सकता है। वर्ष 2009 में एनजीओज ने पिछले शासन द्वारा किये गये वायदों को लेकर सवाल उठाना शुरू किया जिसके फलस्वरूप नक्सली आतंक के लिए एनजीओज द्वारा पैसे के उपयोग के आरोप के बहाने नया एफसीआरए लागू किया गया। इस पर जब न केवल एनजीओज, बल्कि आम आबादी के कुछ हिस्सों ने 2011 में भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन में भाग लिया तो इस तरह की रिपोर्टें सामने आने लगीं कि 70 एनजीओ ऐसे हैं जिन पर विदेशी धन के दुरुपयोग के लिए गृह मंत्रालय नजर रखे हुए हैं। इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री ने नाभिकीय–विरोधी आंदोलन को हवा देने के लिए विदेशी धन के उपयोग के बारे में टिप्पणी की तो दक्षिण भारत के कुछ एनजीओज के बैंक खाते निष्क्रिय कर दिये गये। हम यहां यह भी बता दें कि न केवल एनजीओज को, बल्कि निगमित घरानों और संचार माध्यमों को भी भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन के समर्थन के लिए नोटिस मिले थे। अब जब वर्तमान प्रधानमंत्री समावेशपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं – जिसमें न केवल एनजीओज ने बल्कि समाज के हर हिस्से ने उनका समर्थन किया है, एनजीओज द्वारा राष्ट्रीय विकास को, विशेषकर गुजरात का उदाहरण देते हुए, बाधित करने की रिपोर्ट सामने आई है।

3. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी अधिकतर रिपोर्टें ''भविष्य–उन्मुख'' हैं यानी कि उन्हें अभी तैयार किया जा रहा है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट मुद्दों को तार्किक परिणति तक नहीं ले जा पाई है। वाणी का हमेशा से यह मानना रहा है कि ऐसे किसी भी संगठन के साथ जिसे कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया हो, पूरी कड़ाई के साथ पेश आया जाना चाहिए।

किंतु हम एक ऐसी रिपोर्ट का पूर्वानुमान लगा रहे हैं जिसमें दोषी एनजीओज की सूची शामिल होगी। अब तक कुदनकुलम आंदोलन के मामले में जिन एनजीओज पर आरोप लगाया गया है, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है। एफसीआरए के अनुसार मंत्रालय को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होगी, पर अब तक आरोपियों में से कोई भी दोषी नहीं पाया गया है।

4. एक और प्रश्न यह पूछा जाता है कि एनजीओज को विदेशी पैसे की जरूरत ही क्यों हैं? क्या वे भारत में पैसा नहीं जुटा सकते? पर एनजीओज द्वारा वित्तीय सहायता मांगने का मुख्य कारण वह क्षेत्र है जिसमें वे कार्य करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, आदि किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, उनके लाभार्थी हमेशा ही ऐसे निर्धन लोग होते हैं जो इन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं कर सकते। एनजीओज को निधियों की जरूरत मूल्यांकन, समीक्षाओं और सरकारी परियोजनाओं के लिए सुझाव देने के लिए भी होती है। इन सुझावों को अभिशासन में सुधार के उद्देश्य से सरकारी कार्यतंत्र में शामिल किया जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझावों और जानकारी से भारत में अभिशासन को लाभ प्राप्त हुआ है। पिछले एक दशक में भारत में सरकार और एनजीओज के बीच के संबंधों में काफी अधिक बदलाव आया है। पर इसके विपरीत गैर–सरकारी संस्थाओं को विकास में साझेदारों के रूप में नहीं बल्कि उप–ठेकेदारों के रूप में देखा जाता है। उन्हें निर्धारित परियोजनाओं को लेकर बोली लगानी होती है और बिना सवाल पूछे परियोजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ता है। दूसरी ओर कराधान (टैक्सेशन) के क्षेत्र में ऐसे सुधार नहीं किये गये हैं जो निधियों के घरेलू स्तर पर जनन को सुगम बना सकें। हम अभी भी परोपकारिता की दान वाली पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं और समाज के उस परिपक्व स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं जहां निजी अनुदान समाज के समग्र विकास से अनुप्रेरित हो।

कुछ प्रश्न

यहां, न केवल सरकार से बल्कि संचार माध्यमों के सहकर्मियों से हमारे कुछ प्रश्न हैं:

1. क्या आपके विचार से पेशेवर तरीके से एनजीओज को विनियमित और प्रोत्साहित करने की कोई कार्यविधि तैयार करने की जरूरत है? एनजीओज के पंजीकरण के लिए केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है। इससे गैर–जवाबदेह एनजीओज के उभरने की समस्या का समाधान हो सकता है।
2. क्या निगमित कार्य मंत्रालय की तरह एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाने की जरूरत नहीं है? इस तरह का मंत्रालय/विभाग एनजीओज पर पेशेवर और नियमनकारी ढंग से नजर रख सकता है।
3. गैर–सरकारी संगठनों को भी ऐसी रिपोर्टें देखने का वैध अधिकार है। ये रिपोर्टें गोपनीय क्यों होनी चाहिए और अक्सर लीक क्यों की जाती हैं?
4. आपके विचार में क्या हमें गृह मंत्रालय से जवाबदेही की मांग नहीं करनी चाहिए या अब तक हल न किये गये मामलों की रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि कई सच्चे संगठनों का भविष्य इसमें दांव पर लगा है।
5. क्या सरकार के लिए मुद्दा एनजीओज की निधियों का स्रोत है या फिर निधियों का उपयोग है?
6. क्या आपको लगता है कि कराधान (टैक्सेशन) में सुधार की जरूरत है ताकि घरेलू अनुदान और घरेलू फाउंडेशन को प्रोन्नत किया जा सके?
7. राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति को – जिसे पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था – पिछले एक दशक में कभी भी कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?
8. ऐसा क्यों है कि हमारे पास दस व्यावसायिक चैनल हैं, पर अपने कार्य और चुनौतियों को सामने रखने के लिए इनमें गैर–सरकारी संगठनों को थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता।

स्वैच्छिक संस्थाओं के संबंध में सरकारी नीतियों की रूपरेखा

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत से संविधान द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को हमारे कल्याणकारी राज्य में सहायता हेतु एक स्थान प्रदान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में अनौपचारिक रूप से राष्ट्र निर्माण के प्रयास करने का उत्तरदायित्व निजी स्वैच्छिक संस्थाओं को सौंपा गया था। इन संस्थाओं द्वारा अपनाये गये नम्र दृष्टिकोण पर विचार करते हुए योजनाकारों ने यह देखा कि वे सहभागितापूर्ण जनतंत्र में केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं। तीसरी, चौथी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जमीनी स्तर पर कार्य को निर्णायक रूप से निर्मित करने में स्वैच्छिक संस्थाओं या गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग पर बल दिया गया।

जब 1986 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कौंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नालॉजी) का गठन किया गया तो स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में विशिष्ट संदर्भ उभर कर सामने आये। ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य की व्यापक संभावना को देखते हुए सरकार ने यह विचार किया कि स्वैच्छिक संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का प्रसार करने में रणनीतिक भूमिका निभा सकती हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत के समय से ही बार–बार इस बात को दोहराया गया है कि स्वैच्छिक संस्थाएं समुदाय–आधारित भागीदारी हासिल करने में समेकित विकास की दिशा से नवाचारपूर्ण कार्यों और पद्धतियों को आधार प्रदान करेंगी।

इसी प्रकार स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विकास को आगे बढ़ाने और संचालित करने के विचार को आठवीं और नवीं योजनाओं में दोहराया गया। विशेषकर पंचायती राज कानून के अधिनियमन से विकेंद्रित जनतंत्र का जो विस्तार हुआ उसमें स्वैच्छिक संस्थाओं को जमीनी स्तर के जनगण के अग्रदूतों के रूप में देखा गया। बाद में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तैयार करने के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं को सुगमनकारी भूमिका सौंपी गई।

1. जन सहभागिता मॉडलों को प्रोन्नत और प्रोत्साहित करना।
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों सहित महिलाओं और अन्य पिछड़े समूहों को सशक्तीकरण करना।
3. निर्धनता को समाप्त करने और रोजगार जनन के उद्देश्य से ग्रामीण कृषि और विकास को आगे बढ़ाने वाली नवाचारपूर्ण पद्धतियों को विकसित करना।
4. जन–लामबंदी के जरिये पर्यावरण की स्थिरता की दिशा में काम करना।
5. ऐसे स्वयं सहायता समूहों, संस्थाओं का गठन करना जो स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से संचालित हों।

सरकार ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि उसकी नीति के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध हो और उन्हें प्रोत्साहित किया जाये। अनुदान सहायता के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तपोषित किया जाता है, पर यह सहायता अलग–अलग मंत्रालयों के नियमों और कार्य–प्रक्रियाओं के अधीन है। अनुदान–सहायता (ग्रांट–इन एड) 1950 के दशक की शुरूआत में तब–तब शुरू की गई थी जब निधियों के अंतरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) का गठन किया गया था। इसी प्रकार आने वाले दशकों में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने के संबंध में समय–समय पर विभिन्न बोर्डों, योजनाओं, आयोगों और समितियों का गठन किया गया।

स्वैच्छिक संस्थाओं को प्राप्त होने वाली सहायता मौद्रिक साधनों तक ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें तकनीकी, भौतिक और प्रशिक्षण संबंधी सहायता भी शामिल है। इस प्रकार से प्रदान की गई सहायता में सब्सीडीज, बैंक ऋणों पर छूट, मानदेय, आदि शामिल है। इसी प्रकार इन विभिन्न सहायताओं के दायरे में भूमि की खरीद, मरम्मत, वेतन, लागतें, आदि भी शामिल हैं।

चुंकि अनुदान सभी संस्थाओं को प्रदान नहीं किये जा सकते, इसलिए कई संस्थाओं को विदेशी अनुदान पर निर्भर रहना पड़ा है। ये अनुदान सीमित हैं। किंतु जो भी निधियां प्राप्त होती हैं वे कुछ मुट्ठीभर संस्थाओं के लिए ही पर्याप्त हैं। एफसीआरए के कठोर प्रावधानों और आयकर संबंधी कानूनों ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। हालांकि जब 2007 में स्वैच्छिक क्षेत्र के

संबंध में राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। तब एक आदर्श स्थिति सामने आई थी, पर सरकार ने बाद में इस पर चुप्पी साध ली। इसके कोई परिणाम सामने नहीं आये और यह प्रारूप बनाने का पूरा का पूरा कार्य ही विफल हो गया।

विशेषकर पिछले पांच वर्षों में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रति शत्रुता का व्यवहार सामने उभर कर आया है। इसका एक कारण यह दिया जाता है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ मेलमिलाप कर रही है। पर यह कारण हो सकता है पर्याप्त न हो। स्वैच्छिक क्षेत्र को पहले एक समय जो प्राथमिकता दी गई थी वह अब निजी क्षेत्र की ओर उन्मुख होती लग रही है। इस दृष्टिकोण की वजह से कई संस्थाएं परेशान हैं। इसका दूसरा कारण उन्हें उप–ठेकेदार का दर्जा दिया जाना है जो अपमानजनक लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच एक सेतु बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचे पर पुनर्विचार किया जाये। ऐसा नहीं माना जाता कि राज्य को केवल आर्थिक और राजनीतिक ढांचों पर निर्भर होना चाहिए, बल्कि उसे समान रूप से (अगर समान रूप से नहीं तो उसके इधर या उधर) नागरिक समाज के प्रति समावेशपूर्ण या अनुकूल होना चाहिए। यह देखा गया है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को केवल वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने वाली संस्थाएं माना जाता है और इसलिए राष्ट्रीय हितों के लिए विनाशकारी माना जाता है। इस गलत दृष्टिकोण या सोच की वजह स्वैच्छिक क्षेत्र का नकारात्मक प्रचार हुआ है जो कि आधारहीन और गलत है क्योंकि कुछ थोड़े से संगठन ही नकारात्मक सामान्यीकरण का आधार नहीं बन सकते। सरकार के दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया है; जहां पहले वह इस क्षेत्र को उदारता से अनुदान देती रही वहां उसने उसके कार्यकलापों को कठोर कानून बना कर प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। सरकार के दृष्टिकोण में इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझना मुश्किल है।

रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपना कर स्वैच्छिक संस्थाओं का बहिष्कार करने के परिणामस्वरूप "अनौपचारिक विपक्ष" का ह्रास होगा। जनतंत्र को गहन बनाने का नागरिक समाज का सशक्तीकरण है जिसे संविधान में भी ध्वनित किया गया है। टकरावों का शमन करने और संवाद के नये मंच तैयार करने से सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं, दोनों को अपने मतभेदों को पारस्परिक रूप से समझने तथा उन्हें हल करने में मदद मिलेगी। स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यकलापों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए और उन्हें उजागर करते हुए सामाजिक बदलाव से संगठन की प्रतिबद्धता को प्रकट करने वाले उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। इन दोनों पक्षों की आपसी निर्भरता घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश को विकास के पक्ष से भटकाने वाली सामाजिक रुकावटों पर विजय हासिल करने में मदद कर सकती है। किंतु सरकार की स्वैच्छिक संगठनों को अभिशासित करने वाली नीतियों में उसी प्रकार की उदारता का उपयोग किया जाना चाहिए जो स्वैच्छिक संस्थाओं का आंतरिक गुण है।

पृष्ठ 1 का शेष

दुर्भाग्य से अनेक विकासशील देशों में स्थानीय नागरिक समाज जी–20, ब्रिक्स और आईएसबीए जैसे भूमंडलीय मंचों और घरेलू मुद्दों पर अपने दैनिक संघर्ष के बीच संबंध को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। हालांकि इन देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है, पर यहां अभी भी घोर निर्धनता, अभाव और कुपोषण का बोलबाला है। स्थानीय नागरिक समाज अभी भी इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे वे इन संस्थाओं की वैधता को लेकर भी सवाल उठाते हैं और राष्ट्र संघ के साथ काम करना अधिक आरामदायक पाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नागरिक समाज राष्ट्र संघ के साथ काम करने और उसे प्रभावित करने में काफी सक्रिय रहा है, जबकि इसी प्रकार की अभिप्रेरणा जी–20, आईएसबीए या ब्रिक्स के मामले में मौजूद नहीं है। यहां तक कि सांसदों और संचार माध्यमों की भी इनमें खास दिलचस्पी नहीं है। सच यह है कि सरकार में भी ऐसे थोड़े से लोग ही हैं जिन्हें इन नये भूमंडलीय मंचों के कार्य की जानकारी है।

इसलिए जी–20 और ब्रिक्स जैसे संगठनों से जवाबदेही की मांग करने के लिए नागरिक समाज और ब्रिक्स देशों के बीच और अधिक सहयोग जरूरी है। हमें ब्रिक्स बैंक के गठन पर नजर रखनी होगी; और अंत में ब्रिक्स प्रणाली में नागरिक समाज के एक वैध स्थान की मांग करनी होगी।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

अनूठे कौशलों और नवाचारपूर्ण कार्यविधियों का विकास

(स्वैच्छिक संस्थाओं के भावी जीवन–आधार के लिए)

समकालीन परिवेश में अनूठापन और नवाचार सफल संस्था के प्रमुख गुण हैं। समानता के सभी रूपों के बीच विशिष्ट पहचान संस्था को उसके प्रतियोगियों के ऊपर बढ़त हासिल कराती है। जहां ये गुण नियमित संगठनों के लिए अधिक अनुकूल हैं, वहीं इस वर्गीकरण से स्वैच्छिक संस्थाओं को बाहर रखना एक बहुत पुरानी सोच है। स्वैच्छिक संस्थाएं सेवा प्रदान करती हैं और वे समाज का विशेषज्ञ दल और परिवर्तनकर्ता हैं जिनका योगदान समाज को बेहतर बनाता है। इस समय मौजूद एक प्रमुख विचार यह है कि स्वैच्छिक संस्थाएं साझे कार्यकलापों को करने वाली एक सामान्यीकृत सामूहिक का हिस्सा हैं। हालांकि कई संस्थाएं इस विचार से सहमत नहीं हैं, पर यह सच है। जैसा कि देखा गया है कई स्वैच्छिक संस्थाओं ने अन्य ऐसी संस्थाओं के मॉडलों और प्रणालियों को दोहराया है।

इसी प्रकार से सेवा प्रदान करने के लिए अपनायी गई पद्धतियों के बारे में समानता अपने आप में जरूरी है ताकि सामूहिक विकास को ठोस गति प्रदान की जा सके, किंतु यह अंतर संस्था द्वारा अपनाई गई पद्धति या मार्ग में उभर कर सामने आना चाहिए। यदि संस्था अपनी रणनीतियों को नया रूप देकर और अपने कार्यकलापों में नयापन ला कर नया कार्य करती है और अपने लिए अनूठे कौशल विकसित करती है तो लाभों या हितों को गिनाया जा सकता है। अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं को यह सामान्य प्रश्न अक्सर परेशान करता है और जिस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि यदि स्वैच्छिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्य करना है तो अनूठे कौशल क्यों विकसित किये जायें और क्यों नवाचारपूर्ण कार्यविधियां या कार्यतंत्र तैयार किये जायें। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्तमान और भविष्य के रुझानों से पूरी तरह से अवगत होना होगा, तभी वे जीवित रह सकती हैं। अनेक अकादमीशियनों ने "उभरते हुए या फैलते हुए फालतूपन" की ओर इंगित किया है जो इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है और जो आने वाले वर्षों में अंततः उसके अस्तित्व को ही मिटा डालेगा। परोपकारिता की भावना से प्रेरित कई स्वैच्छिक संस्थाएं इस बात को लेकर असहज महसूस

इस समय मौजूद एक प्रमुख विचार यह है कि स्वैच्छिक संस्थाएं साझे कार्यकलापों को करने वाले एक सामान्यीकृत समूह का हिस्सा हैं। हालांकि कई संस्थाएं इस विचार से सहमत नहीं हैं, पर यह सच है।

कर सकती हैं, पर सामने उपस्थित सच्चाई यह है कि लोगों का सतत रूप से सशक्तीकरण किया जाये। यही सच्चाई बढ़ते या फैलते हुए फालतूपन की दिशा में ले जा रही है। आर्थिक और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भारत की प्रगति एक वास्तविकता है और इसने भारत को विकसित विश्व के मार्ग पर रखा है। किंतु स्पष्ट रूप से नजर आ रही निर्धनता, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं, आदि स्वैच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं कि वे इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि सामाजिक संकेतकों के मामले में बहुत कम प्रगति हासिल की गई है।

वित्तपोषण या फंडिंग अनेक संगठनों की जीवन रेखा है जिसके बिना उनकी स्थिरता या टिकाऊपन खतरे की स्थिति में आ सकता है। यह खतरा अपने टिकाऊपन को बनाये रखने की दृष्टि से स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए एक केंद्रीय विषय है। स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए वित्तपोषण या फंडिंग मुख्य लक्ष्य है ताकि वे समाज के लिए किये जा रहे अपने कार्य को बल पहुंचा सकें। पर स्वैच्छिक संस्थाओं को जो निधियां प्राप्त होती हैं या जो निधियां उनके पास होती हैं वे सीमित बनी हुई हैं और उनमें कमी आती जा रही है। वर्तमान वातावरण की छानबीन से पता चलता है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जब तक संसाधनों की इस कमी को दूर करने के लिए नई रणनीतियां नहीं बनाई जातीं तब तक स्वैच्छिक क्षेत्र अपने को अनिश्चिय की स्थिति में पा सकता है। स्वैच्छिक कार्य के आयाम व्यापक और सचल हैं और इसीलिए कार्यान्वयन के नये और ताजे मॉडलों का निर्माण करना जरूरी है।

संसाधनों की इस कमी को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसी कार्यविधियां या कार्यतंत्र और तकनीकें तैयार करें जिनके माध्यम से वे किसी विशेष समस्या को हल कर सकें। अनुदानकर्ता और निधिदाता तभी निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं जब वे ऐसी कोई परियोजना देखते हैं जिसके भविष्य में परिणाम सामने आ सकें। उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए अगर स्वैच्छिक संस्थाएं अनूठे प्रकार के समाधान सामने ला सकें तो वे प्रकाश में आ सकती हैं और निधियां भी प्राप्त कर सकती हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के संदर्भ में एक डर यह बना रहता है कि सरकार उनके द्वारा पहले हासिल पारंपरिक स्थान पर कब्जा जमा लेगी। पारंपरिक स्थान पर कब्जा जमा लेगी। एफसीआरए और आयकर कानून के पश्चगामी प्रावधान स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिरता या टिकाऊपन को खतरे में डाल सकते हैं और इस तरह उनके भविष्य को दांव पर लगा सकते हैं। इस तथ्य को छिपाना एक गलती होगी कि सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं को लेकर एक शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। हाल ही में संस्थाओं को मान्यता न देना इस संबंध में बहुत कुछ बयान करता है। नये प्रकार की रणनीतियां सरकार की सोच में दृष्टिकोणगत बदलाव ला सकती हैं और सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ कार्य करने के लिए आकर्षित हो सकती है। वित्तपोषण या निधिदान का मुख्य मुद्दा इस बात से निर्धारित होता है कि किस ऐसे क्षेत्र को चुना गया है जहां विकास में कमी नजर आ रही है। अनेक अनुदानकर्ताओं ने यह बात समझ ली है कि इस संबंध में कुछ समस्याएं हैं। परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करते समय अनुदानकर्ताओं का लक्ष्य यह देखना या जानना होता है कि परियोजना कम समय में पूरी हो जाये और साथ ही जन–केंद्रित मॉडल्स ठोस रूप से कार्यान्वित हो सकें। निधियां प्राप्त करने का मतलब है कड़ी मेहनत करना और मानदंडों का पालन करना। किसी भी संस्था की सफलता का पता निम्न पहलुओं के जुट कर काम करने से लगाया जा सकता है:

1) समस्या–समाधान के लिए अनूठे कौशलों का विकास। विशेषकर उन क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना जहां समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

2) एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करने का प्रयास न करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी समस्याएं सामने न आये जो स्वैच्छिक संस्थाओं पर बोझ डालती हैं।

3) समस्याओं को हल करने के लिए टूल किट तैयार करना।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अपनी सभी शक्तियों को अंततः नवाचारपूर्ण और विचारपरक कार्यकलापों पर लगाना चाहिए। अनुदाता एजेंसियों के साथ साझेदारी के लिए नये दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करने की दिशा में विचार–विमर्श संस्था के लिए एक स्वस्थ कार्य होगा। परियोजना शोध के मामले में सभी स्वैच्छिक संस्थाओं को अपनी रणनीतियों की दृष्टि से नवाचारपूर्ण होना चाहिए तथा संस्था के लक्ष्यों को नया रूप प्रदान करते हुए पुराने पड़ चुके दृष्टिकोणों या पद्धतियों को जारी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की तकनीकें संस्थाओं को न केवल निधियां प्राप्त करने के मामले में राहत प्रदान करेंगी, बल्कि उन्हें विकास प्रतिमान का अंग भी बनायेंगी।

कौशल निर्माण और अनूठे समाधान के नमूने तैयार करने से संस्था को अपने को नया रूप प्रदान करने और अपना परिचय या अपनी रूपरेखा को विस्तारित करने में मदद मिलेगी। अनुदानकर्ता पर निर्भरता – चाहे वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो – लंबे समय की सहायता के रूप में बदल सकती है। वक्त का तकाजा है कि स्वैच्छिक संस्थाएं विश्व के पदचिन्हों पर चलें और अपने भीतरी कार्यों में व्यावसायिकता या पेशेवर सोच अपनायें।

– अर्जुन कुमार फिलिप्स
संचार एक्जेक्यूटिव, वाणी, नई दिल्ली

बंगलादेश की गैर–सरकारी संस्थाएं

(इक्नॉमिक एंड पालिटिकल वीकली में प्रकाशित लेख के अंश श्री साज्जद ज़ोहीर लेखक द्वारा)

इधर बंगलादेश की छवि में एक प्रमुख बदलाव आया है। यह इस अर्थ में कि पहले उसे 1970 के दशक के आरंभ में अकाल–ग्रस्त देश माना जाता था और बाद में 1980 के दशक के अंत तक खाद्य राहत के जरूरतमंद देश के रूप में जाना जाता था और इसके बाद उसे निर्धनों को सेवाएं प्रदान करने वाले नवाचारपूर्ण प्रयास करने वाले देश के रूप में जाना जाने लगा है। 1990 के दशक में यहां राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आये वहीं इसके साथ मानव संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिये और ग्रामीण आबादी में महिलाओं का सशक्तीकरण होता देखा गया। इस देश पर समय–समय पर प्रकृति अपने कहर ढाती रही और सरकारें अक्सर उनसे निबट नहीं पायीं, पर मई 2004 के दौरान बंगलादेश डेवलपमेंट फोरम के छत्र के नीचे आयोजित अनुदानकर्ताओं की एक बैठक में यह बात सर्वसम्मति से सामने आई कि बंगलादेश की अर्थव्यवस्था और समाज ने आघातों को लेकर अब लचकीलापन अपना लिया है।

इसकी सफलता का श्रेय मुख्यतः इस देश के गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओज) को दिया गया। पर यहां अभी भी गैर–सरकारी संस्थाओं (एनजीओज) के साथ सरकार के संबंधों में स्थिरता नहीं आई है, अभी भी इनका स्थिर होना आवश्यक है। 'एनजीओ' (यानी गैर–सरकारी संस्था) शब्द व्यापक प्रकार के संगठनों को अपनी परिधि में लेते हैं। बंगलादेश में गैर–सरकारी संस्थाएं पारंपरिक निजी स्वैच्छिक संस्थाओं (पीवीओज) से दो मामलों में अलग हैं। पहले तो यह कि गैर–सरकारी संस्थाएं वे कार्य करती हैं जो पहले सरकारी एजेंसियों का कार्य थे। दूसरे यह कि गैर–सरकारी संस्थाएं अपने दृष्टिकोण में सहभागितापूर्ण हैं। कम से कम अपने विकास के आरंभिक दौर में। इसी की वजह से वे सरकारी एजेंसियों की तुलना में आबादी के लक्ष्य समूहों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकीं।

बंगलादेश में ऐसी संस्थाएं सबसे पहले 1971 के मुक्ति युद्ध के शीघ्र बाद उभरीं। उदाहरण के लिए, 'मनो स्वास्थ्य' संस्था का मूल आधार एक सचल चिकित्सा इकाई थी जो 1971 में स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करती थी। आरडीआरएस ने अपने कार्यकलापों की शुरूआत युद्ध के बाद पुनर्वास सेवाएं प्रदान करके और उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र में अवसंरचना–विकास में सहायता प्रदान करते हुए की। वीआरएसी2 ने अपने कार्यकलापों को शुरूआत 1971 में अत्याचारों की वजह से विस्थापित हो चुके मछुआरा समुदाय को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करके की।

1970 के दशक के आरंभ में अधिकतर गैर–सरकारी संस्थाओं का मूल बंगलादेश से बाहर का था। इन संस्थाओं के लक्ष्य सीमित थे जैसे कि – कुरीग्राम में युद्ध से पीड़ित शिशुओं और 'अनचाहे' बच्चों का पुनर्वास (टेरे देस होम्स), आश्रय और संरक्षण प्रदान करना (एक्शन एड), 1974 के अकाल के तत्काल बाद उत्तर–पश्चिम में राहत और पुनर्वास कार्य आयोजित करना, आदि। इसका एक अपवाद कनैडियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर्गनाईजेशन (सीयूएसओ) नामक संस्था थी जिसका एक अधिक व्यापक वैचारिक परिप्रेक्ष्य था जो कथित रूप से पाउलो फ्रिएर के सबाल्टर्न दर्शन पर आधारित था। सीयूएसओ ने इस विश्वास के साथ 1976 में अपने कार्यकलाप समाप्त कर दिये कि स्थानीय नेतृत्व पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है। इस प्रकार एक स्थानीय संस्था के रूप में प्रोशिका का गठन किया गया और सीयूएसओ के अनेक प्रशिक्षण केंद्र बीएआरसी को सौंप दिये गये।

1970 के दशक में अधिकांश समय तक गैर–सरकारी संस्थाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती रही। आत्म निर्भरता के लिए कुछ स्थानीय आंदोलन भी चले जिनके फलस्वरूप 'स्वनिर्वर बंगलादेश' का गठन हुआ। 1970 के दशक के अंत में जाकर ही सूक्ष्म ऋण के लिए छोटे–छोटे समूहों का गठन किया गया। ग्रामीण बैंक की सफलता के साथ 1980 के दशक में गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म–ऋण कार्यकलापों को धीरे–धीरे करके स्वीकार किया जाने लगा। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के आरंभ में देशज प्रयासों के आधार पर नई संस्थाएं बनीं, हालांकि पहली पीढ़ी के गैर–सरकारी संगठन सामाजिक सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते रहे। ऋण प्रदान करने में अपनी उत्प्रेरित दिलचस्पी के बावजूद नई उभरी कई सूक्ष्म–वित्त संस्थाओं (एमएफआईज) ने – जिन्हें गैर–सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया – केवल सूक्ष्म–ऋण पर ध्यान केंद्रित किया।

बंगलादेश के विशिष्ट संदर्भ में गैर–सरकारी संस्थाओं और एमएफआई के बीच का अंतर धुंधता पड़ जाता है। जहां वित्तीय मध्यस्थता के कार्य के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, वहीं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अक्सर गैर–सरकारी क्षेत्र में एजेंटों के रूप में भी कार्य करती हैं। अधिकतर गैर–सरकारी संगठन समूह गठन का काम करते हैं और समूह के सदस्यों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। कुछ स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता, प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा जागरूकता निर्माण जैसी सामाजिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस समय कार्यकलापों का यह जो मिलाजुला रूप है इसका लंबा इतिहास रहा है और बंगलादेश में गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र हमेशा बदलता हुआ क्षेत्र रहा है। मोटे तौर पर कहें तो अपने आरंभिक कार्यों की दृष्टि से इन संस्थाओं में अंतर हो सकता है, पर उनकी समानता मुख्यतः महिला सदस्यों के समूहों के नेटवर्क से उभरी है जो गैर–सरकारी संगठनों के अधिकतर कार्यों का आधार है। अधिकतर गैर–सरकारी संस्थाएं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। हालांकि संस्थागत बचतों और संपदा संचय के तरीकों पर अभी प्राथमिक शोध नहीं किया गया है, पर यह सुझाने को पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि यह कार्य महत्वपूर्ण रूप से प्रक्रिया में है। उक्त चार हस्तक्षेपों के साथ–साथ किये जाने वाले कार्य के अन्य क्षेत्र हैं – एडवोकेसी और शोध। एडवोकेसी कार्य–प्रदर्शन को प्रोन्नत करने, प्राथमिकताओं में बदलाव लाने और सरोकार के क्षेत्रों को उजागर करने का उपकरण है। साथ ही यह सामाजिक लामबंदी का आवश्यक घटक भी है। यह बात शोध के बारे में भी सच है। पर ये दोनों कार्यकलाप ऐसी बिक्री योग्य सेवाएं भी बन सकते हैं जिन्हें प्रदान करने का फैसला कोई व्यवसायिक रूप से उत्प्रेरित गैर–सरकारी संस्था ले सकती है।

किसी एक कार्यालय या प्राधिकारी के साथ पंजीकरण कराने की पंजीकरण की प्रथा के साथ एक से अधिक प्रकार के संगठन पंजीकरण करा सकते हैं, गैर–सरकारी संस्थाओं की संख्या का ठीक–ठीक आकलन नहीं किया गया है। अगर गैर–पंजीकृत सोसाइटियों (जैसे कि क्लब, अनौपचारिक बचत और ऋण संस्थाएं जिनमें से कई एक ही गांव के दायरे में काम करती हैं) को शामिल कर लिया जाये तो कुछ अनुमानों के अनुसार इनकी संस्था 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती हैं। किंतु यह इनमें से उन संस्थाओं का एक छोटा समूह है जिनकी कार्य शैली और कार्यकलाप समान लगते हैं और जिन्हें सामान्य रूप से गैर–सरकारी संस्था माना जाता है। इनमें से अधिकतर पंजीकृत हैं, हालांकि कुछ संस्थाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो पंजीकरण कराने की इच्छा रखती है। सामान्यतः एक औपचारिक प्रबंधन ढांचा मौजूद रहता है, चाहे वह कागज पर ही मौजूद क्यों न हो और केवल एक या कुछ लोग ही व्यवहार में अधिकार का उपयोग करते हों। प्रबंधनकर्मी और अन्य कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं और कार्य प्रबंधन द्वारा मंजूर वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किया जाता है जिसके अंतर्गत हर कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। एडीएबी की निदेशिका में 1,007 गैर–सरकारी संगठनों की सूची दी गई है जिनमें से 376 गैर–सदस्य हैं। बंगलादेश सरकार के एनजीओ अफेयर्स ब्यूरो (एनएबी) ने वित्त वर्ष 1996–97 में 1,132 संस्थाओं को 250 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान जारी किये। इन संस्थाओं में से 997 स्थानीय संस्थाएं हैं और 135 विदेशी हैं (एनजीओ अफेयर्स ब्यूरो, 1998)। गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से अवगत अधिकतर लोगों का सुझाव हैं जून 2002 तक बंगलादेश में सक्रिय गैर–सरकारी संगठनों की संख्या 1,200 से अधिक थी।

बंगलादेश में गैर–सरकारी संस्थाओं ने निर्धन लोगों और दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ऋण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली निर्धनों तक पहुंच बनाने में विफल रही थी। बंगलादेश के गैर–सरकारी संगठनों और ग्रामीण बैंक, दोनों ने यह इसके विपरीत यह सिद्ध कर दिया कि निर्धनों को ऋण प्राप्त कराना संभव है और साथ ही अच्छी वसूली दरें भी सुनिश्चित की जा सकती हैं। इस तरह के ऋण के लिए ठोस परिसंपत्तियां होना जरूरी नहीं है। इस प्रक्रिया में बैंकिंग के प्रति एक नया दृष्टिकोण उभरा जिसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और निर्धनों की जरूरतों की पूर्ति करने की उसकी क्षमता को विश्व भर में मान्यता दी जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बंगलादेश के एनजीओज ने शुरूआत सूक्ष्म वित्त या सूक्ष्म ऋण से नहीं दी थी, बल्कि पहले तो वे निर्धनों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल बाहरी निधिदान पर निर्भर थे।

सामान्य रूप में कहें तो बंगलादेश के एनजीओज ने समाज के सबसे निर्धन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जैसे कि भूमिहीन, महिलाएं और ग्रामीण निर्धन लोग। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बंगलादेश के गैर–सरकारी संगठनों का अब विस्तार हो रहा है। "एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंसीज इन बांगलादेश" (एडीएबी) – जो कि अपने सदस्यों के बीच जानकारी के आदान–प्रदान को लक्ष्य बनाने वाला 1974 में स्थापित एक शीर्ष एनजीओ फोरम है – इस समय 135 गैर–सरकारी संस्थाएं केवल कृषि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं (देखिये तालिका–1)

तालिका–1 से यह संकेत मिलता है कि अधिकाधिक गैर–सरकारी संस्थाएं अब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखा रही है। एक अध्ययन के अनुसार, "कृषि के क्षेत्र में एनजीओज ने नई फसलों और फसल नमूनों की शुरूआत की है। वे बड़े पैमाने पर कृषि विस्तार के कार्य में शामिल रहे हैं। अब सामूहिक भूमि

तालिका
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम चलाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं

कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय	स्थानीय	कुल
कृषि	12	22	101	135
रेशम उत्पादन	3	6	19	28
बागबानी	0	2	2	4
मत्स्यपालन	7	15	96	118
सामाजिक वनन	6	20	92	118
भूमिसुधार	0	3	2	5
कुल	28	68	312	408

स्रोतः एडीएबी, गैर–सरकारी संगठनों का डाटाबेस, एडीएबी, ढाका, 1990

उपयोग और भूमिहीनों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में सिंचाई उपकरणों की जांच को लेकर प्रयोग किये जा रहे हैं।"

किंतु बंगलादेश में कुछ थोड़े ही एनजीओज हैं जो किसानों के बीच टिकाऊ कृषि के महत्व को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनमें प्रोशिका–मुक्त, फ्रैंड्स इन विलेज डेवलपमेंट, बंगलादेश (एफआईवीडीबी), केयर इंटरनेशनल और रंगपुर दीनापुर ग्रामीण सेवा (आरडीआरएस) जैसी संस्थाएं शामिल हैं। टिकाऊ कृषि की उनकी अवधारणा इस प्रकार है – "एक ऐसी पारिस्थिति की – अनुकूल कृषि प्रणाली जहां समुदाय के लोग पारंपरिक, देशज और साथ ही आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें।"

क्योंकि इस समय टिकाऊ (सस्टेनेबल) कृषि एक नई अवधारणा है और अभी भी प्रयोगात्मक चरण में है, इसलिए एनजीओज की मुख्य रणनीति किसानों की निर्वाह संबंधी जरूरतों की पूर्ति की ओर निर्देशित है (हिर्चमैन, 1984)।

"एनजीओज इन बंगलादेश" एक गतिशील संस्था है जो देश में सोच और राजनीति के लिए नई चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। संस्थागत प्रबंधों के एक निकाय के रूप में इसका जन्म कुछ सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सरकार की विफलता की वजह से हुआ। संस्थागत गतिशीलता और सहभागी दृष्टिकोण की मजबूरियों की वजह से गैर–सरकारी संस्थाएं कई अन्य क्षेत्र में कार्य करने लगीं। विस्तार का रास्ता हमेशा गलतियों से मुक्त नहीं रहा, फिर भी समाज उनके अस्तित्व को स्वीकार करने लगा है। इस आलेख में केवल तय किये गये रास्ते को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। गैर–सरकारी संस्थाओं ने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है और इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में अन्य कार्य करनेवाले पक्ष भी शामिल रहे हैं जिनके साथ गैर–सरकारी संगठनों की तुलना की जा सकती है। ऐसे कुछ कार्यकलापों के मामले में समाज लाभ प्राप्त कर सकता है। वह गैर–सरकारी संस्थाओं को पुराने कार्य–पक्षों को (सरकारी एजेंसियां और निजी क्षेत्र) बदलकर ऐसा कर सकता है।

यह भी सच है कि गैर–सरकारी संगठनों के बीच की गतिशीलता, आंतरिक या घरेलू प्रोत्साहन, अनुदानकर्ताओं और घरेलू सरकार का दबाव – ये सभी बातें बंगलादेश में गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों के विस्तार और चरित्र को स्वरूप प्रदान करती हैं। इस तरह, नीतियां महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो बंगलादेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में गैर–सरकारी संस्थाओं के दायरे और विस्तार को व्यापक बना सकती हैं। पर साथ ही यह बात भी सही है कि सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप किये जाने और अत्यधिक विनियमन (रेगुलेशन) करने से अक्सर गैर–सरकारी संगठनों के क्षेत्र जैसे नवाचारपूर्ण क्षेत्रों के विकास में बाधा आती है।

एक पेशेवर कार्य के रूप में स्वयंसेवा (वालंटरिज्म)

स्वैच्छिक कार्य की परिभाषा अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग रही है। सामाजिक कार्यकलाप में यह परिवर्तनशीलता हर भौगोलिक स्थान में अनूठी है, पर मूल चालक शक्ति है – जरूरतमंद में दलित लोगों के लिए काम करने की इच्छा। कल्याण कार्यकलाप विविध प्रकार के विचारों में अभिव्यक्ति पाते हैं – चाहे धार्मिक हों या राजनीतिक। प्रेरणा और उद्देश्य पूरे समाज की सेवा करना होता है। इस प्रकार स्वयं सेवा या वालंटरिज्म को अनौपचारिक रूप से सामाजिक कार्य में संलग्न होना समाज की खामियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास के रूप में अनौपचारिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जहां इस प्रकार के अर्थ इस शब्द को पूरी तरह से न्याय प्रदान नहीं करते, वहीं फिर भी इससे इसकी व्यापक रूपरेखा का पता चलता है। सामाजिक कल्याण के संदर्भ में स्वयंसेवा किसी व्यक्ति की कठिनाइयों और बाधाओं को जीतने की साथी मानव प्राणी की सहायता करने की सचेतन इच्छा होती है। स्वयं सेवी कार्यकर्ता की विषयगत सहज वृत्ति इच्छा की स्वतंत्रता या किसी प्रकार की मजबूरी के बहिष्कार से अभिशासित होती है।

स्वैच्छिक कार्रवाई तब स्वयं सेवी कार्यकर्ता के अपनी सेवाओं के बदलने में वित्तीय लाभ के साथ या उसके बिना एक मंच से यानी किसी संगठन से पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से जुड़ने से सफल होती है।

वालंटियरों या स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के कार्य को समझने के लिए वालंटियरों का विभेदीकरण महत्वपूर्ण है।

इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

1) **प्रशासनिक वालंटियर** – जो प्राशासनिक जिम्मेदारियां उठाते हैं जैसे कि लेखा तैयार करना, कार्यालय के पत्र–व्यवहार, प्रेषण आदि का कार्य देखना।
2) **पेशेवर वालंटियर** – जो स्वैच्छिक कार्य अपने पेशे के साथ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, चार्टेड एकाउंटेंट, इंजीनियर मनोवैज्ञानिक आदि।
3) **सामाजिक कार्यकर्ता** – वालंटियरों का यह वर्ग पिछड़े लोगों के साथ कार्य करने के प्रति निःस्वार्थ भाव से समर्पित होता है। भारत में धर्म से प्रेरित होकर और बाद में गांधीवादी विचारों के

आधार पर समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न होने का सामाजिक कार्यकर्ताओं का लंबा इतिहास रहा है।

एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य

एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य का उभार एक हाल ही का रुझान है क्योंकि अनेक संस्थाएं व्यापक परिणाम हासिल करने के लिए अपने कार्य को पेशेवर रूप देने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि पेशेवर कार्य को स्वयं सेवी कार्य में आवश्यक स्थान प्राप्त नहीं है, पर सामाजिक कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसके उभार को कम करके नहीं आंका जा सकता। सर्वव्यापी निगमित संस्कृति ने सामाजिक कार्य को एक पेशे का रूप प्रदान करने की शुरूआत की है। हालांकि स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर इस बात को लेकर मतैक्य नहीं है कि पेशेवर कार्य कहां तक आवश्यक है, पर अधिकतर संस्थाएं इस परंपरा की आदी बन चुकी हैं। कई समाजशास्त्रियों ने स्वयं सेवी कार्य को अर्ध–पेशा बताया है क्योंकि उनका कहना है कि अन्य पेशों के साथ तुलना करने पर स्वयंसेवी कार्य का एक अविकसित सैद्धांतिक ज्ञान है, एक निम्न पेशेवर स्वायत्तता और प्राधिकार हैं।

किंतु सामाजिक कार्य से जुड़ी पेशेवर कार्य की बारीकियां हाल का रुझान हैं और कई संस्थाएं विशेष दर्जा हासिल करने के लिए अभी भी प्रयास कर रही हैं।

जहां एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य के अध्ययन बहुत ही कम

किये गये हैं, वहीं समग्र रूप से इसका अध्ययन करना भी कठिन है। सामाजिक कार्य धार्मिक या परोपकारी समूहों के कल्याण कार्यक्रमों तक सीमित रहा था।

पंजीकरण, प्रमाणीकरण से संबंधित कानूनों के उभार और 1976 में एफसीआरए के अधिनियमन ने स्वयं सेविका पर एक पेशेवर दर्जा प्रदान करने के लिए दबाव डाला है। सरकार द्वारा घोषित कानूनों और नियमों ने रातोंरात स्वैच्छिक संगठनों के खाके को बदल डाला।

स्वैच्छिक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता लाने वाले और इस तरह कार्य के प्रतिमान को नये रूप में सामने रखने वाले कार्य के प्रतिमान को नये रूप में सामने रखने वाले पेशेवर लोगों (डाक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों–जिन्हें निर्धनों और जरूरतमंदों को सेवा प्रदान करना एक नेक काम लगा) के आने से स्वैच्छिक क्षेत्र में व्यावसायिकता स्पष्ट रूप से उभर कर आया। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्वीकार की गई व्यावसायिकता ने दुविधापूर्ण प्रतिमान के अंतर्गत काम किया क्योंकि इसके लाभों को चिन्हित करने वाले और इसके परिणाम निकालने वाले वर्णनों पर अभी भी बहस चल रही है। व्यावसायिकता के लिए मुख्य चिंता उसका धीरे–धीरे करके अफसरशाही में बदलना है जो एक पेशे के रूप में स्वयं सेविता के ह्रास की ओर ले जा सकता है।

इस क्षेत्र में व्यावसायिकता के उत्साह ने इसे पारंपरिक कल्याणवादी रास्ते से अलग करके इसे व्यावहारिकता के साथ सामाजिक कार्य को अपनाने वाले दृष्टिकोण से फिर से जोड़ दिया है। इसने इसे किये गये व्यापक सामाजिक कार्य के बल पर समाज को सेवा प्रदान करने, बदलने और रूपांतरित करने की क्षमता के साथ एक वैध इकाई के रूप में परिष्कृत किया है।

व्यावसायिक या पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता

स्वैच्छिक क्षेत्र की बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए शिक्षा संस्थानों ने स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं (एमएसडब्ल्यू, आदि) के प्रमाणन के लिए पेशेवर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये हैं। इसने स्वैच्छिक क्षेत्र में पेशेवर नियम और मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही इसने इस क्षेत्र को अपने को परिभाषित करने में नये पहलू अपनाने और शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इसका एक उदाहरण एक विशेषज्ञ दल या थिंकटैंक का है जो सरकार के आग्रह पर अपने बौद्धिक संसाधन प्रदान करके सरकारी योजनाओं और नीतियों के लिए शोध कार्य करता है। अभिशासन के समाजशास्त्रीय मॉडल तैयार करने सहभागियों के प्रत्युत्तरों और व्यवहार का अध्ययन करने से अभाव, अधिकारहीनता, पिछड़ेपन आदि जैसी समस्याओं को हल करने हेतु सरकार को सामान्य समाधान प्रदान करने में सहायता प्राप्त हुई है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों से निकले निष्कर्षों और संदर्भों ने निर्धनों के लिए योजनाएं और परियोजनाएं तैयार, संशोधित और निरूपित करने में सरकार को ठोस योगदान प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में व्यावसायिकता के उत्साह ने इसे पारंपरिक कल्याणवादी रास्ते से अलग करके इसे व्यावहारिकता के सामाजिक कार्य को अपनाने के दृष्टिकोण से फिर से जोड़ दिया है। इसने इसे किये गये व्यापक सामाजिक कार्य के बल पर समाज को सेवा प्रदान करने, बदलने और रूपांतरित करने की क्षमता के साथ एक वैध इकाई के रूप में परिष्कृत किया है।

दरअसल व्यावसायिकता ने संस्थागत ढांचा विकसित किया है और संगठनों के क्षमता निर्माण का विस्तार किया है; और उनके विभिन्न कार्यकलापों के विस्तार के ठोस परिणाम सामने आये हैं। रूपरेखायुक्त और परिभाषित संगठन के साथ स्वैच्छिक संस्थाएं उपयुक्त परिणामों के साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकी हैं। चरणबद्ध कार्यान्वयन तंत्र के बिना कोई भी परियोजना सफल नहीं हो सकती और स्वैच्छिक संस्थाओं ने कर्तव्यबद्ध होकर इस नियम का पालन किया है। व्यावसायिकता से युक्त स्वैच्छिक संस्थाओं का कार्यभार का सरकार द्वारा कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी जनतंत्र के पिछले स्तंभ होने की उनकी भूमिका भविष्य के लिए आधारभूत है। व्यावसायिकता और स्वैच्छिक क्षेत्र में उसकी प्रयोज्यता के वर्णन हो सकता है, मेल न खायें, पर इसकी खूबियों को स्वीकृति को ध्यान में रखना होगा।

आंध्र प्रदेश की आवाज

—वाणी द्वारा लिखित

आंध्र प्रदेश को "भारत का चावल का कटोरा" कहा जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना एक नवम्बर, 1956 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विलय करके की गई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और वारंगल, विजयवाड़ा और विशाखापट्नम इसके दूसरे बड़े शहर है। राज्य में कुल 23 जिले हैं जिनमें से 9 तटवर्ती आंध्र में, 10 तेलंगाना में और 4 रायलसीमा में है। अनंतपुर राज्य का सबसे बड़ा और हैदराबाद सबसे छोटा जिला है। आंध्र प्रदेश का मानव संसाधन सूचकांक 0.473 है जो यहां निम्न मानव विकास को दर्शाता है। दिल्ली और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश विदेशी निधियां प्राप्त करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।

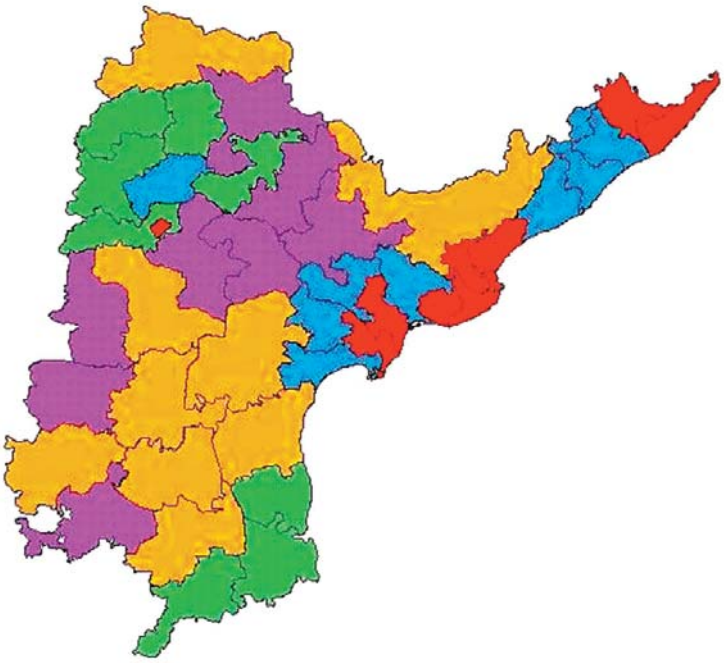

आंध्र प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

1. ट्राइसेम, मनरेगा, वन संरक्षण समितियों, पनढाल विकास जैसे कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकार के बीच सहयोग है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं ने नवाचारपूर्ण योजनाओं के साथ ग्रामीण निर्धनों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

3. महिलाओं को संगठित करने और स्वयं सहायता समूहों का गठन करने में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया है और उन्होंने दहेज का कुप्रथा, बालिका भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा के मुद्दों को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. स्वास्थ्य देखरेख प्रणालियों में स्वैच्छिक संस्थाओं ने टीकाकरण और स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। एचआईवी/एड्स को लेकर स्वैच्छिक संस्थाएं और सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का गठन और बड़ी संस्था में स्वैच्छिक संगठनों के साथ उसका वर्तमान सहयोग एचआईवी/एड्स का मुकाबला करने की केवल शुरूआत है।

5. स्वैच्छिक संस्थाओं ने पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने, सरकार के साथ एडवोकेसी करने, पर्यावरण संरक्षण की शुरूआत करने और पनढ़ाल विकास, वर्षा जल संग्रह और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

6. राज्य में स्वैच्छिक क्षेत्र और सरकार के बीच साझेदारी खाद्य आश्वासन योजनाओं की दृष्टि से उल्लेखनीय रही है जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं ने नीति निर्माण की दृष्टि से प्रमुख भूमिका निभाई है।

आंध्र प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां

अपने आकार और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद आंध्र प्रदेश में स्वैच्छिक क्षेत्र को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि समय के साथ–साथ सीमांतीकृत और वंचित समुदायों की जरूरतों की पूर्ति के लिए सामाजिक सेवाओं की मांग बढ़ी है, पर स्वैच्छिक संगठनों और परोपकारी संस्थाओं को एक दूसरे के साथ

होड़ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसका कारण सरकारी निधियों की कमी और अन्य नियमनकारी बदलाव है। स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित चुनौतियों पर निम्न चार शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा की गई है।

- **निधियों के स्रोतों का अभाव:** स्वैच्छिक संस्थाओं की बीच निधियों के स्रोतों के संबंध में जानकारी सीमित है और निधियों की मंजूरी में लगने वाला लंबा समय एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में निधियों में गिरावट आई है और यह कहा जा रहा है कि इसका कारण स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच विदेशी निधियां प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता है। राज्य में स्वैच्छिक संथाओं की संख्या काफी अधिक है जिसकी वजह से अनुदानकर्ताओं के बीच सच्ची संस्थाओं की पहचान करने में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

  इसके अलावा सरकारी अनुदान विकास कार्यकलाप चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लालफीताशाही और साथ ही निहित राजनीतिक स्वार्थों तथा निचले स्तर पर कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच मौजूद भ्रष्टाचार से स्वैच्छिक संस्थाओं के काम में रुकावट आती है। इसके अलावा अनुदान प्राप्त करने में विलंब और निधियों की राशियां थोड़ी होने की वजह से भी स्वैच्छिक संस्थाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- **आंतरिक अभिशासन की कमी:** इस संदर्भ में निकाले गये निष्कर्षों के अनुसार अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं में प्रभावकारी प्रबंधन प्रणालियों का अभाव है। विभिन्नन संस्थाओं में उत्तम प्रबंधन के तौर–तरीकों के मानदंड और संकेतक मौजूद नहीं हैं। किंतु कई संस्थाओं की भलीभांति सूत्रित की गई संचालन और प्रबंधन नीतियां हैं।

- **कौशलों की कमी:** आंध्र प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के वर्तमान कर्मचारियों के बीच कौशलों की भारी कमी मौजूद है। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान, स्थायित्व और प्रतिबद्धता की समस्या भी है। निम्न वेतनों की वजह से नियुक्तियों में बाधा आती है तथा दूसरी ओर कुशल और योग्य कर्मी अधिक वेतन मांगते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लाभकारी अनुभव प्राप्त करने के बाद कर्मचारी बेहतर अवसर पा कर काम छोड़ देते हैं। इससे इस क्षेत्र के, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जमीनी स्तर की संस्थाओं के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए खतरा खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर बड़ी संस्थाओं के पास संसाधन और योग्यकर्मी दोनों होते हैं।

- **स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वैचारिक टकराव:** आंध्र प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतःसंगठन सहयोग मौजूद है और कई स्वैच्छिक संस्थाएं स्थानीय संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं और नेटवर्कों के साथ मिलकर पनढाल परियोजनाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, महिला सशक्तीकरण, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर काम कर रही है। यह सहयोग फलप्रद रहा है और इससे जन सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिली है। किंतु राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच वैचारिक मतभेद, आपसी अविश्वास, असहयोग अभी भी मौजूद है जिसे दूर करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र का दीर्घकालिक और बेहतर अस्तित्व बना रहे।

सिफारिशें और सुझाव

सरकार के लिए सिफारिशें

- **तीन स्तरों वाली मंजूरी मशीनरी:** केंद्र सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जांच, राज्य सरकार की सिफारिश और फिर निधियों की मंजूरी की जो प्रक्रिया है उसे आसान प्रक्रिया बनाने के लिए कम किया जाना चाहिए।

- **सरकार द्वारा निर्धारित रणनीतिक कार्य**–प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि मंजूर बजट को समय पर जारी किया जा सके।

- सरकारी, सहायता वाली परियोजनाओं में भी संस्था निर्माण और सांगठनिक कौशल विकास का कार्य किया जाना चाहिए।

- सरकार को जमीनी स्तर पर आधारित और विकास कार्य करने वाली सच्ची संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करनी चाहिए।

- सरकार को सरकार–गैर सरकारी संगठन (जीओ–एनजीओ) को मजबूत बनाना चाहिए (जो कि इस समय निष्क्रिय है।)

- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच सार्थक और प्रभावकारी सहयोग के रूप में पिछले लोगों और समुदाय के हित में एक समन्वय समिति के गठन से विकास प्रक्रिया को तेज करने और सुशासन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- सरकार को निर्धनता–उन्मूलन कार्यक्रमों का नियोजन, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और क्रियान्वयन करना चाहिए।

- निगमित सामाजिक दायित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। एक उत्तरदाता ने यह टिप्पणी की थी:

  "वर्तमान कर्मचारियों के कौशलों में सुधार की पूरी संभावना है;" और संगठन लगातार कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। पर इस संदर्भ में पर्याप्त बजट आवंटनों का अभाव एक मुख्य बाधा बना हुआ है।

  राज्य के तकनीकी संस्थान किसी न किसी रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं।

  अनेक मामलों में तकनीकी संस्थाएं प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यकलापों के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करती हैं। इस सहयोग को स्वैच्छिक संस्थाओं और शोध एवं तकनीकी संस्थाओं के बीच कृषि और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में देखा जा सकता है। विभिन्न शोध संस्थाएं और शोध केंद्र कौशल विकास के क्षेत्र संबंध में जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करके स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर रहे हैं।

  अनंतपुर में भी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए साझा मंच बनाने के अनेक प्रयास किये गये। किंतु सदस्यों के बीच एकता बनाये रखना कठिन है क्योंकि कुछ सदस्यों को लगातार निधियां प्राप्त हो जाती है और कुछ को कम; कुछ सदस्यों की ईमानदारी और पारदर्शिता का स्तर दूसरों से बेहतर है। यदि कम से कम नियमित रूप से निधियां प्राप्त होने और ईमानदारी तथा पारदर्शिता की दृष्टि से संस्थाओं के बीच समानताएं हों तो स्वैच्छिक संस्थाओं को एक साझे मंच में हिस्सेदारी करने में आसानी होगी।

आंध्र प्रदेश के उत्तरदाता

- निजी क्षेत्र (सीआरएस) स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्य करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं कर रहा।

- कंपनीज विधेयक 2012 में आवश्यक बदलाव लाये जाने चाहिए। यह विधेयक निगमित क्षेत्र के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी वजह से निगमित क्षेत्र को समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता से बचने का काफी मौका मिलता है।

- सरकार को उन स्वैच्छिक संस्थाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों और दलितों के लिए कार्य कर रही हैं।

निजी क्षेत्र के लिए सिफारिशें

- भारतीय निजी कंपनियां और निगमित क्षेत्र अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को विधियां प्रदान कर सकता है।

- निगमित घरानों (अर्थात् निजी कंपनियों) को स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ कार्य करने हेतु शामिल करने के लिए प्रभावकारी पहलकदमियां की जानी चाहिए।

स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए सिफारिशें

- निर्धनता की स्थिति में रहने वाले अपने लोगों के विकास में योगदान करने के लिए लोगों को जागरूक बनाना।

- जमीनी स्तर की संस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने या विस्तारित करने की जरूरत है।

- ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करके जो विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, कौशलों में कमी को दूर किया जाना चाहिए। विकास के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं; प्रबंधन/जेंडर/विकास नेतृत्व/सामुदायिक नेतृत्व/पेशेवर या व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण, आदि)। वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के कौशलों का निर्माण करना भी आवश्यक है। इस समय अनेक निधिदाता संस्थाएं इन अवधारणाओं के आधार पर ही निधियां प्रदान करती हैं।

- सच्ची स्वैच्छिक संस्थाओं की पहचान के लिए राज्य के हर जिले में मार्गदर्शी सिद्धांत सूत्रित करने की आवश्यकता है।

- जीओ–एनजीओ समन्वय समिति (एपीजीओएनजीओ) यानी सरकार और गैर–सरकारी संस्थाओं की समन्वय समिति के गैर–सरकारी संस्थाओं वाले सदस्यों को समिति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए जो कि इस समय निष्क्रिय है और अप्रभावकारी है।

एफसीआरए और राजनीतिक दलों का पाखंड

विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम, 2010 का विवादास्पद मुद्दा फिर से उभर आया है, विशेष कर चुनावों और सहायक राजनीतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय निधियों हेतु राजनीतिक दलों द्वारा इसके दुरुपयोग के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल में किये गये संज्ञान के साथ ऐसा हुआ। 1975 में अपने दण्डात्क प्रावधानों के साथ एफसीआरए को विदेशी निधियों पर अंकुश लगाने और घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था।

इस कानून के केंद्र में स्वैच्छिक क्षेत्र है जिसे इस कानून का सबसे अधिक कोपभाजन बनना पड़ा है क्योंकि इसके अंतर्गत क्षेत्र को संभावित 'विदेशी निधि प्राप्तिकर्ता माना गया है। 2010 में यह कानून तब और भी कठोर और अत्याचारपूर्ण बन गया जब सरकार ने इसे और अधिक उग्र बनाने का प्रयास किया और "विदेशी कार्यकलापों के माध्यमों का लेबल लगातर अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं पर अपना शिकंजा कसा। सरकार की ओर से इस तरह के उदाहरणों ने स्वैच्छिक संगठनों के लिए सुगमनकारी वातावरण का क्षरण किया और उसने विकास को प्रभावकारी रूप से बाधित कर दिया। पर इस दौरान जो मुद्दा उभर का प्रकाश में आया वह था – एफसीआरए के अपने द्वारा मनमाने उपयोग के संबंध राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई पाखंडपूर्ण स्थिति। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में यह कहा कि विशेषकर विदेशी कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों के लिए निधियां प्राप्त करना एफसीआरए अधिनियम का खुला उल्लंघन है। यह याद किया जा सकता है कि इसी प्रकार का एक उदाहरण आम आदमी पार्टी को निधियां प्राप्त करने के सवाल पर राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये हंगामें के मामले में सामने आया था। एफसीआरए विदेशी स्रोतों से "अनुदान" प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। पर न्याय का ध्वंस तो पथ्यगामी दृष्टिकोण है जिसे नागरिक समाज के उन समूहों के खिलाफ अपनाया गया जो समूह देश के विकास में राजनीतिक कार्यकलापों से अधिक भागीदारी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा दर्शाया गया पाखंडपूर्ण व्यवहार राष्ट्र–विरोधी और विकास विरोधी है। राष्ट्रीय विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं और नागरिक समाज योगदान की पुष्टि इतिहास से की जा सकती है। यह बात किसी से छिपी नहीं रह सकती कि अधिकतर राजनीतिक दल अपनी निधियों का उपयोग अपने सुख के लिए करते हैं, पर इसके विपरीत नागरिक समूह अपनी निधियों का उपयोग निस्वार्थ सामाजिक कार्य के लिए करते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कई संस्थाएं अक्सर इन निधियों का दुरुपयोग करती हैं। पर यह बात समूचे स्वैच्छिक क्षेत्र पर लागू नहीं की जा सकती। स्वैच्छिक क्षेत्र हमेशा से लचकीलापन अपनाते आया है और उनके नियमनों या उनके थोपे जाने को लेकर कभी कोई हो–हल्ला नहीं मचाया, पर जब बात उसके अस्तित्व को बचाने की हो, जब उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा हो तो विरोध करना एक स्वाभाविक बात है। नागरिक समाज केवल प्रतिरोध कर सकता है, विरोध दर्शाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

क्या किया जाना चाहिए?

नागरिक समाज और स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलकर सरकार के पास याचिकाएं सामूहिक रूप से दर्ज करनी चाहिए ताकि सरकार यह समझ सके कि स्वैच्छिक क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है। जनतांत्रिक प्रणाली में हमारा जो विश्वास है वह समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका उदाहरण न्यायपालिका के सराहनीय कार्य है जिसने विदेशी निधियों के दुरुपयोग को ध्यान में रखा है। अपनी मजबूत छवि बनाने और ईमानदारी को बहाल करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को अपने सार्वजनिक संबंधों का विस्तार करना चाहिए। सरकार के गैर सरकारी संगठन विरोधी दृष्टिकोण को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। एफसीआरए 2010 को थोपे जाने के बाद हाल की परियोजनाओं के मामलों में सरकार ने कि नागरिक समाज के संगठन निर्धनता निवारण, शिक्षा, विपदा, पुनर्वास, स्वास्थ्य, सहभागी सरकारी संस्थान, अभिशासन और स्वच्छता को लेकर सहायता प्रदान करें। स्वैच्छिक संस्थाओं के पास जो व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव हैं उसे आप रातोंरात दरकिनार नहीं कर सकते यानी कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को सफलतापूर्वक अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को काम पर लगाना होगा और उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने होंगे। सरकार के साथ विवाद का एकमात्र मुद्दा यह है कि उसने एफसीआरए के संबंध में दोहरे मानदंड अपनाये हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि यदि "सकारात्मक" कानून या नियम उन संदिग्ध या अविश्वसनीय संस्थाओं की छंटाई कर देते हैं जिन्होंने स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि पर धब्बा लगाया है या उसे मलिन बनाया है तो इससे स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि ही मजबूत बनेगी। वित्तपोषण या निधिदान के इन दो विषयों यानी राजनीतिक दलों और स्वैच्छिक संस्थाओं को तुलनात्मक विश्लेषण की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। पर हमारी जनतांत्रिक परंपरा की खातिर, दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए – जो इतने समय से विशेषकर जब राजनीतिक दल उल्लंघन के मामले में कड़ी आलोचना का शिकार हुए – राहत की सांस साबित हो सकता है।

संगठन का परिचय: कॉमनवैल्थ मानवाधिकार पहल (कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव)

कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, विष्पक्ष और गैर–सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य कॉमनवैल्थ में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से हासिल करना है।

सीएचआरआई की स्थापना लंदन में कॉमनवैल्थ क्षेत्र में यानी कामनवैल्थ देशों में मानव अधिकारों को प्रोन्नत करने के लिए कॉमनवैल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन्स द्वारा की गई थी। सीएचआरआई ने 1993 में अपना मुख्यालय लंदन से दिल्ली स्थानांतरित किया। यह एक सचेत फैसला था जो ''दक्षिण'' को विकसित करने के विचार पर आधारित था। सीएचआरआई अब विकसित हो चुकी है और उसके दिल्ली, लंदन, और आकारा में अपने कार्यालय अफ्रीका में कार्य का समन्वय करता है और लंदन कार्यालय एक संपर्क कार्यालय के रूप में काम करता है। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सहयोगपूर्ण रूप से किया जाता है। हर कार्यालय उस देश के जहां वह स्थित है – कानूनों के अंतर्गत एक अलग कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है।

सीएचआरआई के लक्ष्य इस प्रकार हैं: हरारे कामनवैल्थ घोषणा, सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना। इसके साथ ही मानव अधिकारों और सुशासन की सहायता करने वाले देश के कानूनों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराना भी इसका उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीएचआरआई ने भूमंडलीय दक्षिण में एक ऐसा मजबूत गैर–सरकारी संगठन आधार तैयार करने की शुरूआत को विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करे; सभी स्थानों से कार्य के सर्वोत्तम तौर–तरीकों को एकत्र कर उनका उपयोग करें; विशेष रूप में दक्षिण से दक्षिण के बीच अधिगम या शिक्षण तथा क्षमता निर्माण का कार्य कर सके।

अपने अभिशासन के लिए, सीएचआरआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्श आयोग का गठन किया है जिसमें पूरे कॉमनवैल्थ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोग शामिल हैं। सीएचआरआई सभी कार्यालयों के लिए नीतिगत निर्देश तैयार करता है। हर कार्यालय की अपनी एक कार्यकारी समिति है जो कार्यक्रम निर्देशों के दैनिक आधार पर कार्यान्वयन पर नजर रखती है। एकजुटता बनाने के लिए कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष भी अंतर्राष्ट्रीय परामर्श आयोग में शामिल होते हैं। कार्यकारी निदेशक सभी कार्यालयों और कार्यक्रमों का प्रभारी होता है।

सीएचआरआई कॉमनवैल्थ में एक्रीडिटिड है यानी प्रत्यायित है। इसका राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में एक विशेष परामर्शकारी दर्जा है और इसे अफ्रीकी मानव और जनाधिकार आयोग (एसीपीएचआर) में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है।

विजन और ध्यान केंद्रण के क्षेत्र

सीएचआरआई एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करती है जहां हर व्यक्ति के निष्पक्ष, जवाबदेह, पारदर्शी और सहभागी अभिशासन से संबंधित अधिकारों की गारंटी हो सके।

सीएचआरआई अनेक मुद्दों पर कार्य करने वाली ऐसी संस्था है जो मानव अधिकारों और अभिशासन में सुधार लाने वाले व्यवस्थागत बदलावों के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा इसके कार्यों में न्याय तक पहुंच हासिल कराना, विशेषकर पुलिस सुधार, जानकारी तक पहुंच – जिसमें इसने वर्षों से ठोस विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा प्राप्त की है – सुलभ कराना भी शामिल है। सीएचआरआई का दृष्टिकोण हमेशा से यह रहा है कि वह अपने सरोकार के क्षेत्रों में कार्यकलापों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे। सीएचआरआई के हस्तक्षेप के रणनीतिक क्षेत्र इस अहसास से उभरे और सूचित हुए हैं कि कॉमनवैल्थ के अधिकार क्षेत्र में कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकारों या अभिशासन के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी है और इनके उल्लंघन के निवारण के थोड़े ही साधन उपलब्ध हैं। कॉमनवैल्थ के अधिकतर देश निर्धनता के दलदल में फंसे है, निम्न अभिशासन से पीड़ित हैं और उन्हें अधिक से अधिक अपूर्ण जनतंत्र कहा जा सकता है। यदि अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आबादी की निर्धनता, सामाजिक टकराव और सरकार के निम्न कार्य–प्रदर्शन से असंतोष के मूल कारण अधिकारों और कर्तव्यों के ज्ञान के अभाव में जवाबदेही सुनिश्चित करने की अक्षमता में, अभिशासन में अनौपचारिक भाग लेने की अक्षमता में निहित हैं। फिर भी अभिशासन, अधिकारों के समर्थन और न्याय प्रदान करने की दृष्टि से कॉमनवैल्थ में सर्वोत्तम प्रथाएं मौजूद हैं।

न्याय और जानकारी तक पहुंच पर सीएचआरआई द्वारा ध्यान केंद्रित करने का कारण यह विश्वास है कि राज्य का प्रमुख दायित्व

अपने नागरिकों को सुरक्षा और हिफाजत प्रदान करना और न्याय सुलभ कराना है। जब विफलताएं हासिल होती हैं तो व्यक्तियों और प्रणालियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और आगे इन विफलताओं की रोकथाम के लिए व्यवस्थागत बदलाव लाये जाने चाहिए। इस समय न्याय सुलभ कराने का सीएचआरआई का कार्यक्रम पुलिस सुधार और कारागृह सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

सीएचआरआई मजबूत जनतंत्र, तीव्र विकास, सुशासन और मानव अधिकारों की प्रभावकारी प्राप्ति को बल प्रदान करने वाले मुख्य उपाय के रूप में आम जनता के जानकारी के अधिकार को दृढ़ता से प्रोन्नत करता है। खुलापन जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, परामर्श को प्रोन्नत करता है, जानकारीयुक्त विकल्पों को संभव बनाता है और भ्रष्टाचार में कमी लाता है। सीएचआरआई के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में विस्तृत शोध और प्रकाशन, नीति, नीति–निर्माताओं – जैसे कि सांसदों, वकीलों, संचार माध्यमों आदि – के साथ कार्य करना, क्षमता निर्माण करना व्यापकतर सार्वजनिक शिक्षा, आरटीआई विधेयकों का विश्लेषण, जानकारी तक पहुंच हेतु अभियान चलाने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहमेल निर्मित करना और कानूनों के कार्यान्वयन के लिए ऑडिटिंग करना आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

कार्यक्रम का मुख्य केंद्र और कार्यकलाप

रणनीतिक पहलकदमियां:

सीएचआरआई का मानना है कि, "कॉमनवैल्थ का सरोकार मानव अधिकारों से होना चाहिए या फिर किसी से नहीं!" यह सदस्य देशों द्वारा मानव अधिकार दायित्वों के अनुपालन का अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करता है; समय–समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है; विभिन्न मंचों पर प्रस्तुतीकरण करता है, और जहां भी आवश्यक हो, स्वयं और अपने साझेदारों के साथ मिलकर मानव अधिकारों के पूर्ण अनुपालन के लिए पैरवी करता है। सीएचआरआई कॉमनवैल्थ मंत्रि–स्तरीय कार्य–समूह, राष्ट्र संघ और अफ्रीकी मानव एवं जन अधिकार आयोग सहित विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।

वर्तमान में इसकी पहलकदमियां इस प्रकार हैं: मानव अधिकारों की दृष्टि से कॉमनवैल्थ कार्यविधियों और सदस्य देशों की मॉनीटरिंग; राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद में कॉमनवैल्थ देशों के मानव अधिकारों से संबंधित वायदों की समीक्षा करना; मानव अधिकार संरक्षकों के संरक्षण और नागरिक समाज स्थान के लिए पैरवी करना; कॉमनवैल्थ में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए उनके कार्य–प्रदर्शन की मॉनीटरिंग करना; कॉमनवैल्थ देशों में लेस्बियनों, उभयलिंगियों (बाइसेक्सुअल्स) और ट्रांससेक्सुअल्स (एलजीबीटी) के अधिकारों के लिए पैरवी करना; और देशों में मौजूद विशेष चिंताजनक स्थितियों की मॉनीटरिंग करना।

कॉमनवैल्थ सरकार–प्रमखों की बैठकों के लिए रिपोर्टें

सीएचआरआई पर कॉमनवैल्थ राष्ट्र प्रमुख बैठकों से पहले द्विवार्षिक या दोसाला रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें एक विशेष विषय पर गहनता से ध्यान केंद्रित किया जाता है; मानव अधिकारों की दृष्टि से कॉमनवैल्थ को देखने का प्रयास किया जाता है। ये रिपोर्टें सीएचआरआई के चल रहे कार्य से निकटता से जुड़ी होती हैं। वर्ष 2001 के बाद की रिपोर्टों में निम्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: निर्धनता के प्रति मानव अधिकार दृष्टिकोण, जानकारी का अधिकार, पुलिस की जवाबदेही, आतंकवाद–विरोधी कानून, मानव अधिकार रक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं और नागरिक समाज के बीच संबंध और हाल ही में मानव अधिकार कॉमनवैल्थ कमिश्नर। इन रिपोर्टों में सीएचआरआई के एडवोकेसी और कार्यक्रमगत कार्य की जानकारी दी गई है और ये सीएचआरआई को अनेक कॉमनवैल्थ देशों में इन्हीं मुद्दों पर कार्य करने वाले लोगों और संगठनों से जोड़ती हैं।

जानकारी तक पहुंच

सीएचआरआई नागरिक समाज और सरकारों को कदम उठाने, मजबूत कानूनों के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता का केंद्र बनने और कार्य की अच्छी प्रथाओं के कार्यान्वयन में साझेदारों की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। सीएचआरआई सरकार और नागरिक समाज की क्षमताओं का निर्माण करते हुए और साथ ही नीति–निर्माताओं के साथ पैरवी करते हुए स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करती है। इसने अनेक दक्षिण एशियाई देशों में सूचना कानून तक मजबूत पहुंच हासिल कराने में, आपूर्ति और मांग पक्ष की क्षमता को बढ़ाने में और ध्यानपूर्वक कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अफ्रीका में कानूनी प्रारूपण सहायता प्रदान करती है; दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों को कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए भारत में अधिगम कार्यक्रम आयोजित करती है और कानूनों तक पहुंच को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य करती है।

भारत में आरंभ में इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना और बड़े नेटवर्क वाले नागरिक समाज समूहों का क्षमता निर्माण करना था। अब यह अगले उच्चतर कार्यकलापों में अधिक संलग्न है जैसे कि रणनीतिक कानूनों के माध्यम से पारदर्शिता को गहन बनाना और विस्तारित

करना और आरटीआई का कार्यान्वयन करने वालों के उपयोग के लिए आरटीआई के इर्दगिर्द न्यायशास्त्र संबंधी घटनाक्रम पर विश्लेषणपरक शोध करना। सीएचआरआई लगातार घटनाक्रमों का अनुश्रवण करती है और नियमित रूप से ई–मेल चेतावनियां और तीव्र अध्ययन सामने लाती है जो कि समय पर जानकारी देने और आरटीआई बिरादरी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के लिए विश्लेषण का मूल्यवान स्रोत बन गये हैं।

न्याय तक पहुंच

पुलिस सुधारः बहुत से देशों में पुलिस को नागरिक अधिकारों के संरक्षकों की बजाये राज्य के ऐसे दमनकारी उपकरण के रूप में देखा जाता है जिनकी वजह से अधिकारों का व्यापक उल्लंघन होता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। सीएचआरआई इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है किः पुलिस का कार्य तभी जनतांत्रिक बन सकता है जब उसे "ताकत" या बल की बजाये नागरिक आजादियों और मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली "सेवा" के रूप में देखा जाये। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में उसलामा सुधार मंच के गठन में सहायता की। यह नेटवर्क फॉर इंप्रूव्ड पॉलिसिंग इन साउथ एशिया (एनआईपीएसए) के सचिवालय के रूप मे काम करता है और www.nipsa.in नाम वेबसाइट का संचालन करता है। पुलिस कार्य की स्थिति पर हमारी क्षेत्रीय रिपोर्टों को भली भांति सराहा गया है।

भारत में सीएचआरआई कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जन सहायता जुटाना और इसके साथ ही जवाबदेही और निगरानी के कार्यतंत्रों को मजबूत बनाना है। संस्था का एक सबसे लोकप्रिय प्रकाशन एक कार्टून–आधारित रंगीन पुस्तिका है – आप पुलिस के बारे में 101 बातें जानना चाहते थे, पर पूछने से डरते थे। सरल भाषा में लिखी गई और आकर्षक कार्टूनों वाली यह पुस्तिका अनेक उन लोगों के लिए सुलभ है। विश्वभर में जिनके अधिकारों का पुलिस बलों द्वारा उल्लंघन किया गया है। यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय है और भारत मे अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। इसे बांगला (बंगलादेश), उर्दू (पाकिस्तान), धिवेही (मालदीव्स), स्वाहिली (तंजानिया) सहित अनेक भाषाओं और देशों में इसे रूपांतरित और अनूदित किया गया है। सीएचआरआई के पास "अपने अधिकार जानो" विषय पर अनेक पुस्तिकाएं भी हैं। भारत में केंद्र और कुछ राज्यों में चुनावों से पूर्व सीएचआरआई ने अनेक राजनीतिक दलों की चुनाव घोषणा पत्र समितियों को यह आग्रह करते हुए पत्र भेजे कि वे अपने चुनाव घोषणा पत्रों में पुलिस सुधारों (जनतांत्रिक जवाबदेह पुलिस कार्य की दिशा में) को शामिल करें। संस्था अपने फेसबुक पृष्ठ FixPolicingNow के माध्यम से अभियान चलाती है, और बेहतर पोलिसिंग या पुलिस कार्य के लिए नये उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करती है। महाराष्ट्र में अपने साझेदार "पुलिस रिफॉर्म्स वाच" के साथ मिल कर संस्था जो अभियान चला रही है, उसने अब गति पकड़नी शुरू कर दी है।

जेल सुधारः सीएचआरआई इस परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य करती है कि जेलों में अतिरिक्त समय तक बंदियों को रखने और जेलों में भीड़भाड़ का मुद्दा न्यायपालिका, पुलिस अभियोजन पक्ष और सार्वजनिक संरक्षण व्यवस्था के कार्य के तरीकों से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था के कार्य में आई या शिथिलता का प्रभाव कैदियों पर पड़ता है। इसलिए मुख्य ध्यान कानूनी प्रणाली की विफलता को उजागर करने और इसे हल करने हेतु हस्तक्षेप करने पर केंद्रित है। ध्यान–केंद्रण के दूसरे क्षेत्र का उद्देश्य उन कारावास निगरानी प्रणलियों को पुनः जीवित करना है जो पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं।

सीएचआरआई ने अनेक पद्धतियों का उपयोग करते हुए न्यायाधीशों, वकीलों, कारावासों के प्रशासकों, मानव अधिकार आयोगों के साथ कार्य किया है। ये पद्धतियां इस प्रकार हैंः विभिन्न राज्यों में कारावास की स्थितियों पर सूचित करना; वकीलों, न्यायाधीशों और यहां तक कि अपराधियों या दोषियों का प्रशिक्षण ताकि कैदियों को कानूनी सहायता करने में मदद मिल सके; कारावासों में उपयोग के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार करना और ऐसा न्यायालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैयार करना जो अपने आप अधिकारियों को बता सके कि कानून के नये संशोधनों के अनुसार कैदी को कब रिहाई मिलेगी; कारावासों में सेवा प्रदान करने के लिए कानून विद्यालयों के साथ साझेदारी करके कानूनी क्लीनिकों की स्थापना करना; विदेशी कैदियों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए सीमाओं के आरपार समन्वय और सहयोग में सुधार लाना; आधिकारिक प्रशासनों को इस बात के लिए समझाना–मनाना कि कारावास में विजिटिंग प्रणालियों को पुनः स्थापित किया जाये, बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाये और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत बनाया जाये; और साथ ही साथ संचार माध्यमों पर दबाव डालना कि बंदियों के बारे में आम जनता को कल्पित अपराधी और संदेहयुक्त विचार की बजाये उनके बारे में समानुभूति के साथ विचार करें।

प्रकाशन

सीएचआरआई के सभी प्रकाशन उसकी वेबसाइट www.humanrightsinitiative.org पर उपलब्ध हैं। पूरा डाक–पता देकर info@humanrightsinitiative.org से इनकी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

नेताओं के विचार: भारत भूषण (पीएएनआई)

यह पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के मुख्य कार्यकर्ता, श्री भारत भूषण का साक्षात्कार है। इससे हमें जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली उनकी संस्था और उसके मुख्य विषयगत क्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है।

आप स्वैच्छिक क्षेत्र में कैसे और क्यों शामिल हुए?

यह स्वाभाविक ही था। मैं स्वैच्छिक कार्य में शामिल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी से हूं। मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे दादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी आश्रम के संस्थापकों में से एक थे। मेरे माता और पिता, दोनों ही अपने स्वैच्छिक कार्यकलाप 1949 में आरंभ किये थे और तब वे शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बिहार और ओडिशा के आदिवासियों के लिए कार्य करते थे। दबे कुचले लोगों के लिए कार्य करने की उनकी प्रतिबद्धता ने मुझे 1986 में इस क्षेत्र में आने को प्रेरित किया। शुरू में मैंने महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समूह का गठन किया। पर काम आगे बढ़ने के साथ–साथ हमने यह महसूस किया कि उन क्षेत्रों में भी काम करना आवश्यक है जहां सरकार की अक्षमता स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इस समय 1989 में हमने पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन (पीएएनआई) नाम से एक संस्था पंजीकृत करने का फैसला किया और स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया।

इसके बाद हमने इन कार्यों को अधिकार आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत लाने का फैसला किया। इसके अंतर्गत हमने हर व्यक्ति के समग्रतापूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय समितियों और संघों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों का सशक्तीकरण करने का प्रयास किया। इसी प्रयास का परिणाम है कि आज 200 कर्मचारियों के साथ कम से कम 600 पंचायतों और साठ जिलों को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाने में सफल रही है।

पानी (पीएएनआई) ने अपनी सांगठनिक क्षमता का निर्माण कैसे किया?

हमारी जो नीति है उसके अंतर्गत हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे साथ कार्य करने वाले स्वयंसेवी कार्यकर्ता स्थानीय लोग हों क्योंकि ऐसे में वे समुदाय के स्थानीय लोगों के साथ अधिक सक्षम रूप से समानुभूति स्थापित कर सकते हैं। उनमें से अधिकतर समुदाय के साथ गहराई से जुड़े हैं और अपने दृष्टिकोण में पेशेवर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा का स्तर

निराशाजनक है और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का अभाव यहां के युवा लोगों के लिए एक समस्या बना हुआ है। इसी बिंदु पर हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ता आगे बढ़कर इस कमी को दूर करने में सुगमनकारी भूमिका निभाते हैं। हमारे जमीनी स्तर के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं या समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं का अभिशासन सुपरवाइजरों द्वारा किया जाता है जो जिला स्तर के पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और उनके कार्यकलापों का अनुश्रवण करते हैं। इसलिए हमारे कार्य में स्वयंसेविता और पेशेवर कार्य के बीच एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इसके अलावा पीपल्स एक्शन फार नेशनल इंटीग्रेशन का सांगठनिक ढांचा विकेंद्रीकरण पर आधारित है क्योंकि हमारा मानना है कि स्वैच्छिकतावाद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम अपने संगठन में केंद्रिकता को हटा कर एक मॉडल का अनुकरण नहीं करते। हमारे जिला अधिकारियों का कार्य पंचायतों के साथ संपर्क बनाना और समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना है।

पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन (पीएएनआई) का मुख्य बल जमीनी स्तर के अधिकार–आधारित दृष्टिकोणों और एडवोकेसी के क्षेत्रों पर रहा है। क्या आपके कार्य को सरकार की ओर से किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा है?

हां, हमें कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा है, पर क्योंकि हमारा ढांचा

केंद्रीकृत है और जमीनी स्तर पर मौजूद है, इसलिए हमारे सबसे बड़े पैरवीकार वे लोग हैं जिन्हें हम सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थिति यह है कि मेरे अधिकारियों के साथ सीधे–सीधे संपर्क में आये बिना समुदायों ने इस तरह के मामले अपने हाथ में ले लिये। तो इससे कोई भी यह पता लगा सकता है कि हमारी संस्था में जनतंत्र और विकेंद्रीकरण का स्तर क्या है। इसके अलावा पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के राज्य सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं और हमने गैर–वित्तीय परियोजनाओं में राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है और उसे सहायता भी प्रदान की है। जमीनी स्तर पर मौजूद हमारी छोटी–छोटी इकाइयों ने मनरेगा, आरटीई और एनआरएचएम जैसी योजनाओं में सरकार को सहायता प्रदान की है।

अनेक वर्षों तक सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता के रूप में आप स्वैच्छिक क्षेत्र के भविष्य को किस प्रकार देखते हैं?

मेरे विचार से स्वैच्छिक कार्य या स्वयंसेविता को सरकार द्वारा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए जो अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के साथ सरकार द्वारा किये गये काम की कमियों को दूर कर रहा है। अगर आप हमारे इतिहास पर गौर करें तो स्वयंसेवी कार्य हमारी सभ्यता का आधार रहा है। साधुओं और ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुलों से लेकर गांधीजी तक कार्य को देखते हुए कोई भी यह कह सकता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्वयंसेवी कार्य ही था। अतः इस क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण किया जाना चाहिए इसके साथ ही राज्य या सरकार को यह अहसास होना चाहिए कि वह अपनी विफलताओं का आकलन करे। सरकारी विकास हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर सरकार की विफलताएं उसकी उपलब्धियों से अधिक है, और यहीं और इसी बिंदु पर स्वैच्छिक संस्थाओं ने एक सेतु के रूप में कार्य करके अपना योगदान दिया है। मैं एक आशावादी हूं और मैं स्वैच्छिक क्षेत्र के भविष्य को सकारात्मक रूप से देखता हूं और मुझे आशा है कि सरकार की समझ में बदलाव आयेगा।

बीआरएलएफ – स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ साझेदारी की सरकारी परियोजना

भरत में स्वैच्छिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहलकदमी की है जिसका उद्देश्य विकास कार्यकलापों में स्वैच्छिक संस्थाओं को पूरक सहायक या एजेंट बनाना है। भारत में विकास असमान रहा है, जिसकी वजह से अनेक समुदाय विकास के लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। ग्रामीण परिवारों को विकास में हमेशा भुला दिया जाता है जिसकी वजह से वे आधुनिक भारत के हाशिये पर हैं। उनके सशक्तीकरण के लिए भारत रूरल लाईवलीहूड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) ने एक ऐसी परियोजना प्रस्तावित की है जो राहत और विकास प्रदान करने के लिए नागरिक समाज समूहों के साथ सहयोग से ग्रामीण निर्धनों के लिए परियोजनाएं जारी करने हेतु एक स्वायत्त मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी। इस परियोजना में अपनाई गई एक अनूठी पद्धति के अंतर्गत नवाचारपूर्ण (इनोवेटिव) कार्य–प्रक्रियाओं में नागरिक समाज को शामिल किया जायेगा और कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए आदिवासी समुदायों को लक्ष्य बनाते हुए कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। सोसाइटीज पंजीकरण स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय संसाधन प्रदान करेगी। संस्था का उद्देश्य 1000 पेशेवर कर्मियों को सहायता प्रदान करना भी है। संस्था की कोर्पस निधि के लिए 500 करोड़ रुपये का आरंभिक निवेश भी निर्धारित किया गया। तीन स्तरीय साझेदारी के साथ बीआरएलएफ एक ओर तो सरकार के साथ साझेदारी और दूसरी ओर नागरिक समाज/परोपकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी करेगी। यह सहयोगी कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए एक मूल्यवान अनुभव होगा। क्योंकि यह उन्हें सीखने और भविष्य में विकसित होने के नये अवसर प्रदान करेगा।

संक्षिप्त खबर

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने दक्षेस (एसियान) बैठक का बहिष्कार किया

नापाईडाव में एसियान और एसियान नागरिक समाज के बीच होने वाली हाल की बैठक – जिसे नागरिक समाज की आवाज को प्रतिबंधित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है – में नागरिक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने तीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर से अवांछित हस्तक्षेप को लेकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए बहिष्कार का ऐलान किया।

स्पष्ट रूप से इस बैठक के लिए एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ) द्वारा पहल की गई थी जो कि एसियान के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामूहिक मंच है। एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ) के कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर के तीन सदस्यों के नामांकन को विचार–विमर्श में अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने उनकी सरकारों के पसंद के नहीं थे। नामंजूर किये गये प्रतिनिधियों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए बाकी सात प्रतिनिधियों ने भी बैठक मे भाग न लेने का फैसला किया।

एसियान नागरिक समाज की संचालन समिति ने इस अवसर पर जारी किये गये अपने एक वक्तव्य में कहा कि, "तीन सरकारों द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों का नामांकन करके जो उनके नागरिक समाज का अंग नहीं है, अपनाये गये भेदभावकारी दृष्टिकोण की वजह से हम इस बैठक से अनिच्छा से अपनी भागीदारी वापस ले रहे हैं।

बर्मा (म्यानमार) से चुने गये प्रतिनिधि, कारेन डेवलपमेंट नेटवर्क के डॉ. मे शी शो को बर्मा के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया, हालांकि नायपाइडाव और अन्य सरकारों ने राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अपने प्रतिनिधियों का नाम स्वीकार कराने का प्रयास किया।

यह पहली बार नहीं है जब एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ ने अपना विरोध दर्ज किया हो। वर्ष 2009 में हुवाहिन (थाइलैंड) में इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला था जब पांच देशों ने अपने प्रतिनिधियों को अस्वीकार कर दिया।

इन देशों में मौजूद यह मनमुटाव हमेशा से चलता रहा है और कंबोडिया तथा बर्मा जैसे देश एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ के प्रति शत्रुतापूर्ण दिखाई देते हैं।

एक कंबोडियाई गैर–सरकारी संगठन, सिलाका के कार्यकारी निदेशक थिडा खुस का कहना कि, "यह बहुत ही निंदाजनक है कि कंबोडिया की सरकार ने नामांकित प्रतिनिधियों को अस्वीकार कर दिया है। यह चयन प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है।" वे एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए नियुक्त प्रतिनिधियों में से एक थे।

उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाने को लेकर टकराव रहा है।

सदस्य देशों द्वारा अपनाये गये इस दृष्टिकोण के कारण एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ ने वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं।

एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ की संचालन समिति की सदस्य कोरिना लोपा का कहना है कि: "हम इन सिद्धांतों से इसलिए प्रतिबद्ध हुए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि एसियान नागरिक समाज/एसियान पीपुल्स फोरम (एसीएससी/एपीएफ को एक ऐसा स्वतंत्र मंच होना चाहिए जो सरकारी हस्तक्षेपों से मुक्त रहे।"

विश्व का नागरिक समाज – रूस की स्थिति

"विदेशी नीति" (फॉरिन पॉलिसी) नामक पत्रिका के ताजा अंक में रूस में नागरिक समाज की स्थिति पर एक लेख प्रकाशित किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह नागरिक समाज पुतिन प्रशासन के निशाने पर है। पुतिन प्रशासन पश्चगामी कानून थोप रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में जनतंत्र पूरी तरह से उभर नहीं पाया। इस समय नागरिक समाज के प्रति जो तिरस्कार और उदासीनता मौजूद है वह पुराने सोवियत अतीत की याद दिलाती है। नागरिक समाज के संगठनों पर राज्य सत्ता द्वारा शिकंजा कसने के मामलों पर विचार करे तो इससे पता चलता है कि राज्य की सर्वव्यापी अधैर्यता अक्सर जबर्दस्त दमन के रूप में प्रकट होती है।

पुतिन प्रशासन ने जिस क्रूरता के साथ अपने को प्रकट किया है वह कई टिप्पणीकारों को तो जोसेफ स्तालिन के जमाने की याद दिलाती है।

रूस में नागरिक समाज द्वारा की गई एडवोकेसी या पैरवी रूसी समाज में मौजूद अनेक मुद्दों को सामने लाई है। चाहे मामला सीमांतीकृत लोगों (यानी अल्पसंख्यकों, जेंडर या एलजीबीटी) से जुड़ा हो, रूस के नागरिक समाज ने हमेशा उत्साह के साथ इन मुद्दों में भाग लिया है, पर वह मुख्यधारा के रूसी समाज की नगर में नहीं आया रूस के इन नागरिक समाज संगठनों की हाल में यह विशेषता रही है कि उन्होंने पुतिन द्वारा कथित रूप से चुनावों में की गई धांधली का विरोध किया है।

इसके बाद से उन्हें अधिकाधिक रूप से राज्य का कोप–भाजन बनना पड़ा है। नागरिक समाज के पूरे ढांचे को ही तहस–नहस किया जाने लगा है। इसके साथ ही रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विश्वास के अभाव ने प्रशासन के इस विचार को बल प्रदान किया है कि रूस का नागरिक समाज संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का एजेंट है जो रूसी राज्य को विस्थापित करने और "अमेरिकी मूल्यों" को जमाने का षडयंत्र रच रहा है।

राज्यसत्ता द्वारा नागरिक समाज के संगठनों पर अपने अधिकार के अंतर्गत लाने के लिए पुष्ट किये गये वक्तव्य ठीक उसी प्रकार के हैं जो रूसी राज्य स्वायत्त निकायों पर अपना वर्चस्व संचार माध्यम घरानों का राज्य के नियंत्रण में होना इस भेदभावकारी और मनमाने तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कार्यकारी ताकत का एक उदाहरण है। नागरिक समाज के संगठनों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रति इस खतरनाक अंदाज को अपनाकर सरकार स्वतंत्र और आलोचनात्मक बहसों को दबा देना चाहती है। ये ऐसी आलोचनात्मक बहसें या

चर्चाएं हैं जो पुतिन और या उसकी पार्टी की सत्ता या अधिकार को कमजोर करती हैं। दमन और उत्पीड़न की घटनाएं केजीबी की शैली में प्रशासन द्वारा गुपचुप रूप से और चालाकी से किये गये मिथ्यापवाद का उदाहरण हैं। पर रूस की राजनीतिक प्रणाली को सर्वसत्तावादी कह कर खारिज कर देना पूरी तरह से उचित नहीं है। न्यायालयों द्वारा दिये गये अनेक आदेशों को देखें तो कई गैर–सरकारी संगठन सरकार के खिलाफ ऐसे मुकदमें जीत चुके हैं जिनमें उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहां न्यायपालिका का स्वतंत्र रुख या दृष्टिकोण सचमुच प्रशंसनीय रहा है। पर सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाइयों की वजह से गैर–सरकारी संस्थाएं प्रदर्शन आयोजित करने और राज्य प्रशासन का मुकाबला करने हेतु अपनी कार्यनीतियों को करने की रणनीतिक रूस प्रदान करने से पीछे नहीं हटीं। यह डेविड बनाम गोलियथिक मुकदमे की याद दिलाता है।

रूस में जहां नागरिक समाज सूक्ष्म जनतांत्रिक स्थान पर ही मौजूद है, वहां अफसरशाही ने बाहरी अनुदान को प्रतिबंधित करके उनके अस्तित्व का दम घोंट रखा है। सरकार अपने को मुख्य अनुदानकर्ता के रूप में प्रस्तुत करके नागरिक समाज के संगठनों पर अपना अधिकार थोपना चाहती है और उनके कार्यों को प्रभावित करना चाहती है।

किंतु रूस के नागरिक समाज ने जो दृढ़ रुख अपनाया है, वह सराहनीय है। इसके बावजूद कि प्रशासन द्वारा उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, रूस का नागरिक समाज का संकल्प सुधार के लिए उसकी गहन चाह का एक उदाहरण है।

वे समाचार जिनका आप उपयोग कर सकते हैं

पाकिस्तान में गैर–सरकारी संगठनों के लिए नये कानून का प्रारूप

http://pda.net.pk/new-draft-law-for-ngos-drops-a-cat-among-pigeons/

आप (एएपी) को विदेशों से मिले अनुदान कानून का उल्लंघन नहीं: केंद्र

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Donations-to-AAP-from-abroad-didnt-violate-law-Centre/articleshow/ 34793530.cms

गैर–सरकारी संस्था, बेलांचो ने गोवा राज्य में असहारा महिलाओं की देखरेख की मांग की

http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Govt-should-provide-for-destitute-women-in-state/articleshow/ 33923481.cms

क्या जलवायु परिवर्तन जेंडर असमानताओं को बदलता है? दक्षिण भारत से एक प्रयोगात्मक आकलन

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/climate-change&id=68347&type=Document#.U4gRMnKSzEk

रूस: "विदेशी एजेंट" कानून ने सैकड़ों एनजीओज को चोट पहुंचाई

http://www.hrw.org/news/2014/05/29/russia-foreign-agents-law-hits-hundreds-ngos-updated-may-29-2014

यूएई की गैर–सरकारी संस्थाएं भारत में शिक्षा के सुधार में मदद करेंगी

http://zeenews.india.com/news/world/uae-ngo-to-help-improve-education-in-india_931789.html

उच्च न्यायालय ने स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी

http://indianexpress.com/article/cities/delhi/hc-seeks-report-on-facilities-at-schools-for-special-kids/

विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओज जांच ब्यूरो (आईबी) जांच के घेरे में

http://www.newindianexpress.com/nation/Mysterious-NGOs-Under-MHA-Radar/2014/05/25/article2243524.ece

http://www.financialexpress.com/news/foreignaided-ngos-are-actively-stalling-development-ib-tells-pmo-in-a-report/1258034

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-india-treats-its-ngos/

वाणी के कार्यकलाप: अप्रैल 2014–मई 2014

- अप्रैल 20–21, बैंकाक, थाईलैंड, एडीएन क्षेत्रीय राजनीतिक एडवोकेसी नियोजन बैठक
- आईएफपी परिषद की 19–22 मई 2013 को लंदन में बैठक
- एक्शन 2015 एशिया–एशिया सीएसओ रणनीति को लेकर "2015 के लिए लामबंदी नियोजन" विषय पर 25–26 मई 2015 को बैंकाक में बैठक

आगामी आयोजन

- 3 जून को वाणी के कार्यालय में "स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण" पर विचार–विमर्श
- 10 जून 2014 को आईआईसी में "नई सरकार और स्वैच्छिक संस्थाएं" विषय पर परामर्श
- 25 जून 2014 को सिविकस राष्ट्रीय परामर्श